एससीटीसी सं. 854

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

(2022-2023)

(सत्रहवीं लोक सभा)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की

''सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को पेट्रोल और गैस एजेंसियों (सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी आदि) तथा अन्य संबंधित एजेंसियों/इकाइयों के आबंटन की स्थिति''

संबंधी

बीसवां प्रतिवेदन

20.12.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया

20.12.2022 को राज्य सभा पटल पर रखा गया

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

दिसंबर 2022/ अग्रहायण 1944 (शक)

विषय-वस्तु

पृष्ठ सं.

समिति (2022-23) की संरचना..... III

प्रस्तावना V

प्रतिवेदन

अध्याय एक
प्रतिवेदन

अध्याय दो
टिप्पणियां/ सिफारिशें

परिशिष्ट

I. दिनांक 25.05.2022 को हुई समिति की बैठक का कार्यवाही सारांश
II. दिनांक 15.12.2022 को हुई समिति की बैठक का कार्यवाही सारांश

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (2022-23) की संरचना

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी - सभापति

सदस्य – लोक सभा

2. श्री गिरीश चन्द्र
3. श्री संतोख सिंह चौधरी
4. श्री अनिल फिरोजिया
5. श्री तापिर गाव
6 कुमारी गोड्डेति माधवी
7. श्रीमती प्रतिमा मण्डल
8. श्री अशोक महादेवराव नेते
9. श्री विनसेंट एच. पाला
10. श्री छेदी पासवान
11. श्री प्रिंस राज
12. श्री ए. राजा
13. श्री उपेन्द्र सिंह रावत
14. श्रीमती संध्या राय
15. श्री अजय टम्टा
16. श्री रेबती त्रिपुरा
17. श्री कृपाल बालाजी तुमाने
18. इंजीनियर गुमान सिंह दामोर
19. श्री रतन लाल कटारिया
20. श्री जगन्नाथ सरकार

सदस्य – राज्य सभा

21. श्री अबीर रंजन बिस्वास
22. श्री शमशेर सिंह ढुलो
23. श्रीमती कान्ता कर्दम
24. श्री नारण भाई जे. राठवा
25. श्री राम शकल
26 डा. सुमेर सिंह सोलंकी
27. श्री के. सोमप्रसाद
28. श्री प्रदीप टम्टा
29. श्री कामाख्या प्रसाद तासा
30. श्री रामकुमार वर्मा

सचिवालय

1.	श्री डी. आर. शेखर	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री पी. सी. चोल्डा	-	निदेशक
3.	श्री वी. के. शैलॉन	-	उप सचिव
4.	सुश्री पूजा किर्थवाल	-	समिति अधिकारी

III

प्रस्तावना

मैं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का सभापति, समिति की ओर से प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने और प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित ''सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को पेट्रोल और गैस एजेंसियों (सीएनजी**,** पीएनजी**,** एलपीजी आदि) तथा अन्य संबंधित एजेंसियों/इकाइयों के आबंटन की स्थिति'' विषयक इस **बीसवां** प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) को प्रस्तुत करता हूं।

2. समिति ने दिनांक 25 मई, 2022 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया। समिति इस विषय की जांच में संबंध में समिति को आवश्यक सामग्री और सूचना प्रदान करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त करती है।

3. समिति द्वार दिनांक 15.12.2022 को प्रतिवेदन को विचारोपरांत स्वीकार किया गया।

4. संदर्भ और सूविधा के लिए समिति की टिप्पणियों/ सिफारिशों को प्रतिवेदन के अध्याय दो में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली;
दिसंबर 2022
अग्रहायण 1944 (शक)

डॉ.(प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
सभापति
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों
के कल्याण संबंधी समिति

अध्याय एक

प्रतिवेदन

प्राक्कथन

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के स्वामित्व के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। यह बीना, कोच्चि और मुंबई में तीन रिफाइनरियों का संचालन करती है। बीपीसीएल भारत का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला डाउनस्ट्रीम तेल उत्पादक है। बीपीसीएल ने वर्ष 2021-22 में स्टेंडअलॉन आधार पर 42.51 एमएमटी और 30.07 एमएमटी कच्चे तेल की बिक्री दर्ज की। कंपनी ने स्टेंडअलॉन आधार पर 8,789 करोड़ रुपये का कर पश्चात लाभ (पीएटी) दर्ज किया।

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल)

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) एक भारतीय तेल और रिफाइनिंग कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। 2018 से ओएनजीसी की कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी है। एचपीसीएल को 2019 में महारत्न का दर्जा दिया गया था। इसने वर्ष 2021-22 में 10,664 करोड़ रुपये का कर पश्चात लाभ (पीएटी) दर्ज किया।

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल)

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के स्वामित्व के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इंडियन ऑयल ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 7,28,460 करोड़ रुपये का परिचालन राजस्व और 24,184 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया और फॉर्च्यून -500 सूची में 142 वें स्थान पर है। इंडियन ऑयल 58,000 से अधिक ग्राहक टच-पॉइंट के अपने नेटवर्क के माध्यम से देश के हर नुक्कड़ और कोने तक कीमती पेट्रोलियम ईंधन पहुंचाता है। विपणन नेटवर्क को 70.05 एमएमटीपीए समूह शोधन क्षमता और 15,000 किलोमीटर से अधिक क्रॉस-कंट्री पाइपलाइनों द्वारा मजबूत किया गया है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति ने पिछले 5 वर्षों के दौरान अपनी जांच के दौरान पाया कि ओएमसी विशेष रूप से भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) और इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के समक्ष आने वाले प्रमुख मुद्दे मुख्य रूप से निदेशक मंडल में अनुसूचित

जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कम या शून्य प्रतिनिधित्व, पदोन्नति में आरक्षण और 2014 में ओएमसीज द्वारा नीति/दिशानिर्देशों में परिवर्तन के बाद पेट्रोल पंपों के आवंटन में गरीब अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों से संबंधित थे। उक्त ओएमसी की जांच करते समय समिति के अध्ययन दौरों के दौरान इसी तरह के मुद्दों पर प्रकाश डाला गया था और साथ ही शाखा में प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों में भी इसकी गूंज सुनाई दी थी। समिति ने मामले का संज्ञान लिया और "सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को पेट्रोल और गैस एजेंसियों (सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी आदि) तथा अन्य संबंधित एजेंसियों/इकाइयों के आवंटन की स्थिति" विषय पर विचार किया जिसका उद्देश्य इन ओएमसी में काम करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के साथ-साथ गरीब अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोग जो पेट्रोल पंपों के आवंटन के लिए आवेदन करते हैं, उनके सामने आने वाली समस्याओं को दूर करना है।

(क) सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षण

कर्मचारियों की संख्या

1. समिति द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कर्मचारियों की संख्या और निर्धारित आरक्षण के रखरखाव के बारे में पूछे जाने पर, समिति को यह सूचित किया गया है कि विभिन्न सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों अर्थात भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और इंडिया ऑयल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) में दिनांक 01.04.2022 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की संख्या और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या निम्नवत है-

बीपीसीएल

पदों की श्रेणी	कर्मचारियों की कुल संख्या	संख्या		का प्रतिशत	
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
ग्रुप ए	5075	850	349	16.75%	6.88%
ग्रुप बी	1413	199	53	14.08%	3.75%
ग्रुप सी	1367	169	65	12.36%	4.75%
ग्रुप डी/डी(एस)	690	114	54	16.52%	7.83%
कुल	**8545**	**1332**	**521**	**15.59%**	**6.10%**

एचपीसीएल

कम्पनी	पद का वर्ग	कुल कर्मचारी	अ.जा.	%	अ.ज.जा.	%
एचपीसीएल	ग्रुप ए (प्रबंधन)	6018	992	16.48%	446	7.41%
	ग्रुप सी (गैर-प्रबंधन)	3047	559	18.35%	289	9.48%
	कुल	9065	1551	17.11%	735	8.11%

आईओसील

समूह	कुल कर्मचारी	अ.जा.	%	अ.ज.जा.	%
ए	18141	3089	17.0%	1350	7.4%
बी	4711	753	16.0%	492	10.4%
सी	8192	1490	18.2%	635	7.8%
डी	360	60	16.7%	21	5.8%
कुल	**31404**	**5392**	**17.2%**	**2498**	**8.0%**

प्रत्यक्ष भर्ती और पदोन्नति

2. समिति द्वारा पूछे जाने पर, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तरों में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों, कंपनी, विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों अर्थात भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और इंडिया ऑयल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) में पद और वर्ष-वार पिछले पांच वर्षों के दौरान पदों की विभिन्न श्रेणियों में भर्ती तथा पदोन्नत किए गए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या से संबंधित आंकडें प्रदान किए हैं जो इस प्रकार है-

बीपीसीएल

पिछले 5 वर्षों में भर्ती						
वर्ष	**पदों की श्रेणी**	**कुल भर्ती**	**नियुक्त उम्मीदवारों की संख्या**		**नियुक्त उम्मीदवारों का प्रतिशत**	
			अनुसूचित जाति	**अनुसूचित जनजाति**	**अनुसूचित जाति**	**अनुसूचित जनजाति**
2017	ए	425	79	38	18.6%	8.9%
	बी	3	0	0	--	--
	सी	78	5	4	6.4%	5.1%
	डी/डीएस	102	19	6	18.6%	5.9%
	कुल	**608**	**103**	**48**	**16.9%**	**7.9%**
2018	ए	441	70	37	15.9%	8.4%

	बी	1	0	0	--	--
	सी	4	1	0	25.0%	0.0%
	डी/डीएस	61	1 1	0	18.0%	0.0%
	कुल	**507**	**82**	**37**	**16.2%**	**7.3%**
2019	ए	173	21	3	12.1%	1.7%
	बी	1	0	0	--	--
	सी	31	4	2	12.9%	6.5%
	डी/डीएस	130	14	1	10.8%	0.8%
	कुल	**507**	**39**	**6**	**7.7%**	**1.2%**
2020	ए	1 1	0	0	-	-
	बी	शून्य भर्ती				
	सी					
	डी/डीएस					
	कुल	**1 1**	**0**	**0**	**-**	**-**
2021	ए	20	0	0		
	बी	शून्य भर्ती				
	सी					
	डी/डीएस					
	कुल	**20**	**0**	**0**	**-**	**-**
2022 (01.04.2022 तक)	ए	शून्य				
	बी					
	सी					
	डी/डीएस					
	कुल	**शून्य**				

पिछले 5 वर्षों में पदोन्नति

वर्ष	**पदों की श्रेणी**	**पदोन्नत कर्मचारियों की कुल संख्या**	**कर्मचारियों की संख्या**		**प्रतिशत**	
			अनुसूचित जाति	**अनुसूचित जनजाति**	**अनुसूचित जाति**	**अनुसूचित जनजाति**
2017	ग्रुप 'ए' के सबसे निचले पायदान पर	21	2	0	9.5	0

	समूह "बी"	97	5	0	5.15	0
	समूह "सी"	272	23	7	8.45	2.57
2018	ग्रुप 'ए' के सबसे निचले पायदान पर	2	--	--	--	--
	समूह "बी"	50	8	--	16	--
	समूह "सी"	146	24	4	16.4	2.73
2019	ग्रुप 'ए' के सबसे निचले पायदान पर	18*	2	1	11.11	5.55
	समूह "बी"	103	14	5	--	--
	समूह "सी"	45	7	--	--	--
2020	ग्रुप 'ए' के सबसे निचले पायदान पर	--	--	--	--	--
	समूह "बी"	14	2	--	--	--
	समूह "सी"	189	13	1		

2021	ग्रुप 'ए' के सबसे निचले पायदान पर	33	8	2	24	6
	समूह "बी"	शून्य				
	समूह "सी"	शून्य				
2022 *01.04.22 तक*	ग्रुप 'ए' के सबसे निचले पायदान पर	शून्य				
	समूह "बी"	शून्य				
	समूह "सी"	117	10	3	8.54	2.56

<u>एचपीसीएल</u>

वर्ष	प्रबंधन वर्ग में कुल नियुक्ति	अ.जा. नियुक्ति	अ.ज.जा. नियुक्ति	प्रबंधन वर्ग में कुल पदोन्नति	अ.जा. पदोन्नति	अ.ज.जा. पदोन्नति
2017	494	72 (14.57%)	31 (6.28%)	1040	182 (17.50%)	79 (7.60%)
2018	566	110 (19.43%)	38 (6.71%)	1021	172 (16.85%)	81 (7.93%)
2019	38	3 (7.89%)	0 (0.00%)	1061	178 (16.78%)	65 (6.13%)
2020	236	30 (12.71%)	11 (4.66%)	1131	170 (15.03%)	91 (8.05%)
2021	187	22 (11.76%)	11 (5.88%)	1294	232 (17.93%)	109 (8.42%)

वर्ष	गैर-प्रबंधन वर्ग में	अ.जा.	अ.ज.जा.	गैर-प्रबंधन वर्ग में	अ.जा.	अ.ज.जा.

	कुल नियुक्ति	नियुक्ति	नियुक्ति	कुल पदोन्नति	पदोन्नति	पदोन्नति
2017	46	3 (6.52%)	0 (0.00%)	32	9 (28.13%)	1 (3.13%)
2018	127	27 (21.26%)	6 (4.72%)	89	12 (13.48%)	11 (12.36%)
2019	66	3 (4.55%)	6 (9.09%)	46	9 (19.57%)	4 (8.70%)
2020	49	3 (6.12%)	7 (14.29%)	29	4 (13.79%)	5 (17.24%)
2021	99	11 (11.11%)	10 (10.10%)	39	8 (20.51%)	2 (5.13%)

आईओसीएल

वर्ष	**समूह**	**कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या**					
		प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा			**पदोन्नति द्वारा**		
		कुल	**अ.जा.**	**अ.ज.जा.**	**कुल**	**अ.जा.**	**अ.ज.जा.**
2021	**क**	1020	173	81	3571	377	177
	ख	0	0	0	732	81	53
	ग	407	61	35	2019	328	123
	घ	24	3	3	0	0	0
	कुल	**1451**	**237**	**119**	**6322**	**786**	**353**
2020	**क**	253	48	19	3837	634	278
	ख	0	0	0	116	32	17
	ग	83	14	9	1023	198	94
	घ	13	2	2	0	0	0
	कुल	**349**	**64**	**30**	**4976**	**864**	**389**
2019	**क**	961	143	69	3435	593	246
	ख	0	0	0	428	87	41
	ग	618	110	57	1014	222	59
	घ	55	3	5	0	0	0
	कुल	**1634**	**256**	**131**	**4877**	**902**	**346**
2018	**क**	1292	215	111	2656	442	186
	ख	0	0	0	454	109	38
	ग	479	68	59	1375	252	69
	घ	182	37	5	0	0	0

	कुल	**1953**	**320**	**175**	**4485**	**803**	**293**
2017	**क**	1291	211	113	3088	512	205
	ख	0	0	0	461	82	40
	ग	647	96	46	1726	341	122
	घ	77	6	5	0	0	0
	कुल	**2015**	**313**	**164**	**5275**	**935**	**367**

बकाया रिक्तियां

3. समिति ने एक लिखित प्रश्नावली में विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र तेल कंपनियों में श्रेणी-वार पृथक रूप से दिनांक 01.04.2022 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित बकाया रिक्तियों के आंकडों के संबंध में अवगत होने की इच्छा व्यक्त की थी। बकाया रिक्तियों के कारणों, यदि कोई हो, तथा उक्त बकाया रिक्तियों को भरे जाने के लिए मंत्रालय/तेल कंपनी द्वारा किए गए/ किए जा रहे उपायों के ब्यौरा के बारे में भी पूछताछ की। इसके उत्तर में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिकगैस मंत्रालय ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और इंडिया ऑयल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) द्वारा प्रदान किए गए ब्यौरे भी प्रस्तुत किए जो इस प्रकार है-

बीपीसीएल

भर्ती रोस्टर स्थिति - 01.04.2022 की स्थिति के अनुसार

पदों की श्रेणी	**अनुसूचित जाति बैकलॉग**	**एसटी बैकलॉग**
समूह "ए"	-3	-1
ग्रुप "बी"	शून्य	शून्य
ग्रुप "सी"	शून्य	शून्य
ग्रुप "डी/डीएस"	शून्य	शून्य

पदोन्नति रोस्टर स्थिति - 01.04.2022 की स्थिति के अनुसार

पदों की श्रेणी	**अनुसूचित जाति बैकलॉग**	**एसटी बैकलॉग**
ग्रुप "ए" के सबसे निचले पायदान पर	शून्य	
ग्रुप "बी"		
ग्रुप "सी"		

एचपीसीएल

यह सूचित किया गया था कि समूह ग में अनुसूचित जनजाति की 7 बकाया रिक्तियां हैं**,** क्योंकि आवेदकों की अपेक्षित संख्या अर्हता प्राप्त नहीं कर सकी। वर्तमान भर्ती अभियान के दौरान भी यही किया गया है।

आईओसीएल

यह बताया गया था कि विभिन्न समूहों में दिनांक 01.04.2022 की स्थिति के अनुसार बकाया रिक्तियों की संख्या निम्नानुसार है:

समूह	अजा	अजजा
क	21	24
ख	समूह ख में कोई भर्ती नही की गई	
ग	6	5
घ	3	2

यह भी कहा गया था कि सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, कभी-कभी, कुछ आरक्षित रिक्तियां निम्नलिखित कारणों से चयन में खाली रह जाती हैं:

- उम्मीदवारों द्वारा नियुक्ति के प्रस्तावों को स्वीकार न करना
- कुछ अजा/अजजा उम्मीदवार अपनी योग्यता पर अर्हता प्राप्त करते हैं और इसलिए आरक्षित रिक्तियों आदि के विरुद्ध समायोजित नहीं होते हैं।
- अजा/अजजा के उम्मीदवारों की अपेक्षित संख्या उपलब्ध नहीं है

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियां, जिन्हें भरा नहीं जाता है, को बाद के भर्ती वर्षों में 'बकाया रिक्तियों' के रूप में आगे बढ़ाया जाता है, जब तक कि इन्हें संबंधित श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा नहीं भरा जाता है, जिसके लिए वे आरक्षित हैं। कोविड-19 महामारी के कारण 2020 और 2021 में बहुत कम भर्ती गतिविधियों के कारण उपरोक्त बकाया रिक्तियों को भरा नहीं जा सका। तथापि, बकाया रिक्तियों को भरे जाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष 2022 में विभिन्न समूहों में उम्मीदवारों की भर्ती के लिए भर्ती कार्रवाई की योजना बनाई गई है, जिसमें विशेष भर्ती अभियान (एसआरडी) का संचालन भी शामिल है ताकि बकाया रिक्तियों को यथासंभव समाप्त किया जा सके।

संविदात्मक नियुक्तियां

4. समिति ने यह भी अवगत कराने की इच्छा व्यक्त की कि क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को संविदात्मक/आउटसोर्स आधार पर की जा रही नियुक्तियों के लिए आरक्षण/प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है और पिछले **5** वर्षों के दौरान कंपनी में पद और वर्षवार तत्संबंधी ब्यौरा दिया गया है। समिति ने आगे पूछा कि क्या संविदात्मक/आउटसोर्स कर्मचारियों को पर्याप्त न्यूनतम वेतन, चिकित्सा सुविधाएं, ईपीएफ और पीपीएफ सुविधाएं आदि प्रदान की जा रही हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने लिखित उत्तर में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियां दी हैं:

बीपीसीएल

5. बीपीसीएल में, अनुबंधित श्रमिकों को गैर-प्रमुख, छिटपुट, परिधीय प्रकृति की नौकरियों और परियोजना से संबंधित नौकरियों के लिए 'सेवाओं के लिए अनुबंध' के अनुसार ठेकेदारों के माध्यम से लगाया जाता है। इस प्रकार, उनका जुड़ाव गतिशील है और बदलता रहता है। बीपीसीएल में ठेका श्रमिक मुख्य रूप से परियोजनाओं (इंजीनियरिंग परियोजनाओं, सिविल कार्यों आदि), रखरखाव कार्यों (टैंक मरम्मत, पेंटिंग, वाल्व मरम्मत, हीट एक्सचेंजर्स, एसी प्लांट, पंप, अन्य उपकरण आदि) के क्षेत्रों में लगे हुए हैं और अन्य परिधीय गतिविधियों जैसे सुरक्षा, हाउसकीपिंग, खानपान सेवाएं आदि में हैं।

यह भी सूचित किया गया था कि प्रधान नियोक्ता के रूप में हम कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, संदाय अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जैसे विभिन्न क़ानूनों के तहत ठेका श्रमिकों के कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए उनके संबंधित ठेकेदारों के माध्यम से उचित उपाय करते हैं। विपणन और रिफाइनरियों में समय-समय पर आंतरिक वैधानिक अनुपालन जांच की जाती है।

एचपीसीएल

6. एचपीसीएल में ठेका श्रमिकों को भारत भर में विभिन्न ठेकेदारों के माध्यम से विभिन्न निगमों के स्थानों पर गैर-प्रमुख कार्यकलापों, निर्माण/परियोजना कार्यकलापों, जो समयबद्ध प्रकृति के हैं, आदि में नियोजित किया जाता है। इसके अलावा, सुरक्षा और निगरानी सीआईएसएफ के पास है और कुछ क्षेत्र पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर) के साथ पंजीकृत भूतपूर्व सैनिकों की सुरक्षा एजेंसियों के पास हैं। चूंकि ठेका श्रमिकों को संबंधित ठेकेदारों द्वारा नियोजित किया जाता है, इसलिए निगम को उनकी नियुक्ति में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है और न ही ठेका श्रमिकों में अनुसूचित जातियों की संख्या का कोई ब्यौरा रखना है। इसके अलावा, निगम ठेकेदार द्वारा तैनात कामगारों को किसी भी आरक्षण/अधिमान्य उपचार के संबंध में न तो संविदा की शर्तों में और न ही निविदा पूछताछ में कोई विशिष्ट निदेश देता है।

7. एक आदर्श नियोक्ता के रूप में, निगम यह सुनिश्चित करता है कि सभी श्रम संबंधी कानून जैसे ठेका श्रम (विनियम और उत्सादन) अधिनियम, 1970, कारखाना अधिनियम, 1947, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, बोनस संदाय अधिनियम, 1965, मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936, उपदान संदाय अधिनियम, 1972 और सामाजिक विधान अर्थात कर्मचारी-भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 कर्मचारी (कर्मकार) क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 आदि का कड़ाई से अनुपालन किया जाता है। ऐसे मामलों में, जहां ठेकेदार का अपना पीएफ/ईएसआई कोड नहीं है, एचपीसीएल कोड के माध्यम से ठेका श्रमिकों को पीएफ/ईएसआई का लाभ दिया जाता है। इसके अलावा, ठेकेदारों को सलाह दी जाती है कि वे ग्रुप इंश्योरेंस लें जहां ईएसआई लागू नहीं है।

आईओसीएल

8. निगम संविदा के आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं करता है। तथापि, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के उपबंधों के अंतर्गत ठेकेदारों द्वारा ठेका कामगारों की नियुक्ति की जाती है। चूंकि ठेका श्रमिक ठेकेदारों द्वारा नियोजित किए जाते हैं, इसलिए उनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की संख्या के संबंध में सूचना हमारे द्वारा नहीं रखी जाती है। एक प्रमुख नियोक्ता के रूप में निगम यह सुनिश्चित करता है कि उसके परिसर में तैनात ठेका श्रमिकों के कानून, भविष्य निधि, ईएसआई आदि के अनुसार सही मजदूरी का भुगतान संबंधित ठेकेदारों द्वारा जमा किया जाए

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु पेट्रोल पंपों/गैस एजेंसियों (सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी आदि) और अन्य संबंधित एजेंसियों/इकाइयों के आबंटन की स्थिति

---

9. समिति द्वारा उठाए गए अपने एक विशिष्ट प्रश्न के संबंध में, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से लिखित उत्तरों में बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने

21.05.2014 से डीलर चयन दिशानिर्देशों को संशोधित किया था। 2014 के दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के साथ हुए प्रमुख परिवर्तन नीचे दिए गए हैं:

- ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को समायोजित करने के लिए (माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार), ओबीसी के लिए 27% आरक्षण शुरू किया गया।
- आवेदन की तिथि के अनुसार आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। 2014 के दिशानिर्देशों में, आवेदन की तिथि के अनुसार आवेदक की अधिकतम आयु सीमा स्वतंत्रता सेनानी (एफएफ) श्रेणी के अलावा अन्य स्थानों के लिए 55 वर्ष निर्धारित की गई थी।
- अंकों के आधार पर मूल्यांकन और साक्षात्कार की तीन स्तरीय चयन प्रणाली को 2014 में ड्रॉ निकालने और बोली लगाकर चयन करने में बदल दिया गया था।
- यद्यपि आवेदकों का मूल्यांकन किया गया था और वित्त-पोषण के आधार पर अंक दिए गए थे, लेकिन 2014 से पूर्व वित्त की उपलब्धता मूल पात्रता मानदंड नहीं था। 2014 के दिशानिर्देशों में अपेक्षित वित्त की उपलब्धता को उन स्थानों को छोड़कर सभी श्रेणियों के लिए पात्रता मानदंड बनाया गया था, जिन्हें अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणी के तहत विज्ञापित किया गया था, जहां ओएमसीज की कॉर्पस फंड योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती रही।
- विज्ञापित स्थान पर उपयुक्त भूमि का प्रस्ताव जो 2014 से पहले बुनियादी पात्रता मानदंड नहीं था, को 2014 से अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणी के तहत विज्ञापित स्थानों सहित सभी श्रेणियों के लिए पात्रता मानदंड बनाया गया था। तथापि, कार्यशील पूंजी ऋण और खुदरा बिक्री केंद्र का विकास अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणी के अंतर्गत विज्ञापित स्थानों के लिए आवेदकों द्वारा प्रस्तावित भूमि पर सार्वजनिक क्षेत्र के ओएमसीज की लागत पर कॉर्पस फंड योजना के तहत प्रदान किया जाना जारी रखा।
- एलओआई चरण में चयनित आवेदक के पति या पत्नी को 50% भागीदार के रूप में समायोजित करने का प्रावधान 2014 से शामिल किया गया था, बशर्ते कि पति या पत्नी पहले से ही लाभकारी रूप से नियोजित न हों और भागीदार बनना चाहते हैं।
- 2014 से पहले, ब्याज मुक्त वापसी योग्य "सुरक्षा जमा राशि" का भुगतान कॉर्पस फंड स्थानों के लिए लागू नहीं था, जिसमें अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणी के तहत विज्ञापित स्थान भी शामिल थे। 2014 में जारी दिशा-निर्देशों में ग्रामीण क्षेत्र के लिए ब्याज मुक्त वापसी योग्य "सुरक्षा जमा राशि" (नियुक्ति पत्र जारी करने के समय) का भुगतान ग्रामीण और नियमित आरओ के लिए क्रमशः रु.50,000/- और रु. 5,00,000/- अनिवार्य किया गया था, चाहे जिस श्रेणी के तहत स्थान का विज्ञापन किया गया हो।
- जबकि 2014 से पहले सभी चयन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए विचार किया गया था, तुच्छ शिकायतों को दर्ज करने से बचने के लिए, 2014 में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार केवल 1000/- रुपए के शिकायत शुल्क के साथ प्राप्त शिकायतों के निवारण पर विचार किया जाना था। तथापि, शिकायत के प्रमाणित होने की स्थिति में शिकायतकर्ताओं को शिकायत शुल्क वापस किया जाना था।

इसके अतिरिक्त समिति को 2013 और 2015 के बीच नियमित एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप और आरजीजीएलवी दोनों के लिए प्रचलित चयन दिशानिर्देशों में निम्नलिखित प्रमुख परिवर्तनों के बारे में भी सूचित किया गया था जो इस प्रकार है-

- एलओआई में निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर गोदाम के लिए संपर्क मार्ग उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई थी। एफवीसी के समय इस कारण से अस्वीकृति नहीं की जाएगी।
- आवेदकों द्वारा किसी भी बैंक में बचत खाते और सावधि जमा के रूप में निधियों का प्रस्ताव करने का प्रावधान किया गया था।
- एफवीसी के दौरान गोदाम/शोरूम के लिए भूमि के मामले में जारीकर्ता प्राधिकारी के साथ दस्तावेजों का सत्यापन और गैर-क्रीमी लेयर की स्थिति के साथ ओबीसी प्रमाण-पत्र की वैधता को समाप्त कर दिया गया था।
- चयनित उम्मीदवार से उसकी उम्मीदवारी की अस्वीकृति के संबंध में प्राप्त शिकायत/ अभ्यावेदन से निपटने की प्रक्रिया।

उपर्युक्त के अलावा, 2013 और 2015 के बीच नियमित एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए प्रचलित चयन दिशानिर्देशों में निम्नलिखित बड़े परिवर्तन भी किए गए थे।

- एक ही विज्ञापित स्थान के लिए एक से अधिक आवेदकों द्वारा गोदाम /शोरूम या समान वित्तीय लिखत(तों) के प्रावधान के लिए एक ही भूमि का प्रस्ताव नहीं किया जा सकता है।
- एनडीएनई खुदरा विक्रेता/वितरक को कुछ शर्तों के अधीन आवेदन करने की अनुमति दी गई थी।
- सह-मालिक के रूप में जीवनसाथी को शामिल करने के संबंध में छूट प्रदान की गई थी।
- गोदाम/ शोरूम के लिए भूमि के 'स्वामित्व' की परिभाषा को संशोधित करके आवेदक के माता-पिता और दादा-दादी (मातृ और पैतृक दोनों) के स्वामित्व वाली भूमि को शामिल किया गया।
- गोदाम/ शोरूम के लिए प्रस्तावित भूमि के लिए न्यूनतम 15 वर्ष की पट्टा अवधि लागू होने की तारीख के संबंध में अधिक स्पष्टता प्रदान की गई थी।
- यदि एफवीसी के समय आवेदन में चयनित उम्मीदवार द्वारा दर्शाई गई कुल निधियां भिन्न पाई जाती हैं और चयन दिशानिर्देशों/ विवरणिका में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं, तो उम्मीदवार को विज्ञापन या शुद्धिपत्र (यदि कोई हो) में निर्दिष्ट आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के अनुसार उपलब्ध वैकल्पिक धनराशि का प्रस्ताव करने की अनुमति दी जाएगी।

10. समिति ने एक लिखित प्रश्नावली में मई 2014 के बाद खुदरा बिक्री केंद्रों के आबंटन के संबंध में नीति में परिवर्तन के बारे में आगे पूछताछ की। समिति को खुदरा बिक्री केंद्रों के आवंटन और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के संबंध में मई 2014 से पहले की नीति में बदलाव के कारणों/आधारों से अवगत कराया जाए। मंत्रालय से पिछली नीति में उन खामियों या कमियों को भी श्रेणीवार सूचीबद्ध करने के लिए कहा गया जिनके कारण नीति में परिवर्तन की आवश्यकता थी। इसके उत्तर में मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तरों में निम्नवत सूचित किया-

11. <u>खुदरा बिक्री केंद्र</u>

2014 के दौरान डीलर चयन दिशानिर्देशों में किए गए संशोधन के बाद, सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसीज ने नवंबर 2018 में दिशानिर्देशों में फिर से संशोधन किया। 2018 दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के साथ होने वाले परिवर्तन नीचे दर्शाए गए हैं:

- आवेदन प्रणाली: समस्त पात्रता एवं भूमि संबंधी दस्तावेजों के साथ भौतिक रूप से आवेदन जमा करने की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। अब आवेदक केवल सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसी के सामान्य ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से आवेदन जमा कर सकते हैं। ऑन-लाइन आवेदन जमा करते समय, आवेदकों को केवल अपनी तस्वीर, उनके हस्ताक्षर की स्कैन की गई प्रति अपलोड करने की अनुमति है और केवल उनकी पात्रता और प्रस्तावित भूमि के संबंध में घोषणा प्रस्तुत करना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय आवेदक द्वारा किसी अन्य दस्तावेज को अपलोड/प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
- चयन प्रक्रिया: चयन जो मैनुअल ड्रॉ निकालकर/ निविदा खोलने के माध्यम से किया जाता था, को 2018 में ऑनलाइन ड्रॉ निकालकर (डीओएल)/ ऑनलाइन निविदा खोलने (बीओ) के माध्यम से चयन में बदल दिया गया है। पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले सभी आवेदक आगे की चयन प्रक्रिया के लिए ड्रा निकालने/ निविदा खोलने की ऑनलाइन कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया के माध्यम से अर्हता प्राप्त करते हैं। चयन की स्थान-वार स्थिति सार्वजनिक क्षेत्र के ओएमसी के ऑनलाइन वेब पोर्टल में प्रदर्शित की जाती है।
- आवेदन जांच प्रक्रिया: एलईसी करने और मैनुअल डीओएल/ बीओ के माध्यम से चयन करने से पहले, किसी विशेष समूह में सभी आवेदकों के आवेदनों की आवेदन जांच समिति द्वारा जांच की गई थी। 2018 दिशानिर्देशों के अनुसार, चयनित आवेदक द्वारा चयन के बाद संबंधित श्रेणी और आरओ के प्रकार के लिए सुरक्षा जमा राशि के 10% के बराबर दस्तावेज और प्रारंभिक सुरक्षा जमा राशि (आईएसडी) ऑनलाइन डीओएल/ बीओ के माध्यम से जमा किया जाना आवश्यक है और केवल चयनित आवेदकों के आवेदन की जांच की जाती है।
- आवासीय स्थिति: 2014 के दिशानिर्देशों के तहत एक निर्धारित शर्त यह थी कि आवेदक उस जिले का निवासी होना चाहिए जिसमें "ग्रामीण आरओ" विज्ञापित किया गया है, को 2018 के दिशानिर्देशों में वापस ले लिया गया है। अब सभी श्रेणियों ("ग्रामीण आरओ" स्थानों के आवेदकों सहित) के लिए आवेदक भारत का निवासी (आयकर नियमों के अनुसार) होना चाहिए।
- अधिकतम आयु: आवेदन की तिथि के अनुसार आवेदक की अधिकतम आयु सीमा को 2018 दिशानिर्देशों में संशोधित करके 60 वर्ष कर दिया गया है। हालांकि, स्वतंत्रता सेनानी (एफएफ) श्रेणी के तहत विज्ञापित स्थानों के लिए, ऊपरी आयु सीमा में छूट लागू रहेगी।
- सुरक्षा जमा राशि: अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के अंतर्गत विज्ञापित स्थानों सहित ब्याज मुक्त वापसी योग्य "प्रतिभूति जमा राशि" के लिए एलओआई धारक (नियुक्ति पत्र जारी करने से पहले) द्वारा देय राशि को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

श्रेणी	**नियमित आरओ**	**ग्रामीण आरओ**
अ.जा./अ.ज.जा.	रु. 3 लाख	रु. 2 लाख
अन्य पिछड़ा वर्ग	रु. 4 लाख	रु. 3 लाख
खुली	रु. 5 लाख	रु. 4 लाख

शिकायत शुल्क: वर्ष 2018 के दिशानिर्देशों के अनुसार रु.5,000/- के शुल्क के साथ प्राप्त शिकायतों पर ही निवारण के लिए विचार किया जाना आवश्यक है। तथापि, प्रमाणित शिकायतों के मामले में, शिकायतकर्ताओं को शिकायत शुल्क वापस कर दिया जाता है।

12. यह भी बताया गया था कि सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसीज बाजार की गतिशीलता के अनुरूप नीतियों में संशोधन कर रही हैं तथा पारदर्शिता और व्यापार करने में आसानी में सुधार कर रही हैं। निम्नलिखित मुद्दों के कारण मई 2014 से पहले के चयन दिशानिर्देशों में संशोधन की आवश्यकता थी:

- चयन प्रक्रिया: प्रत्येक आवेदक द्वारा एक स्थान पर उपलब्ध कराई गई जानकारी/ दस्तावेज के आधार पर मूल्यांकन प्रक्रिया काफी बड़ी थी, इसलिए इसमें त्रुटियों की अधिक संभावना थी। इसके अलावा, साक्षात्कार प्रक्रिया को व्यक्तिपरक माना गया जिसके परिणामस्वरूप कई शिकायतें हुईं। अंकों में मामूली अंतर शिकायतों और अदालती मामलों का कारण बन रहा था। पैनल में शामिल दूसरे और तीसरे उम्मीदवार द्वारा भी शिकायतें/ अदालत में मामले दर्ज किए गए जिससे चयन प्रक्रिया रुक गई और इसके परिणामस्वरूप खुदरा बिक्री केंद्रों को चालू करने में देरी हुई। इसलिए, ओएमसीज द्वारा अंकों और साक्षात्कार-आधारित चयन प्रक्रिया को हटाकर चयन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने की आवश्यकता महसूस की गई और ड्रा/ निविदा खोलने के माध्यम से चयन प्रक्रिया को अपनाया गया। ड्रॉ/ निविदा खोलने के माध्यम से चयन की इस नई प्रक्रिया ने चयन में व्यक्तिपरकता को खत्म करने में मदद की।
- आरक्षण: ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू करने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित व्यापक आरक्षण सिद्धांतों का पालन करने के लिए। एमओपीएनजी की सलाह के अनुसार डीलर चयन दिशानिर्देशों में प्रतिशत आरक्षण में परिवर्तन लागू किया गया था।
- 'महिला वर्ग' के लिए अलग आरक्षण को संशोधित करके उसमें महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सह-मालिक के रूप में चयनित आवेदकों के पति या पत्नी को शामिल किया गया था। इसलिए एलओआई चरण में 50% भागीदार के रूप में चयनित आवेदक की पत्नी या पति को समायोजित करने का प्रावधान 2014 से शामिल किया गया था, बशर्ते कि पति या पत्नी पहले से ही लाभकारी रूप से नियोजित न हों और चाहते हैं कि उन्हें भागीदार बनाया जाए।
- भूमि: पेट्रोलियम उत्पादों के खुदरा विपणन के 1.4.2002 से नियंत्रणमुक्त होने और ऑटोमोटिव ईंधन को बनाए रखने में निजी कंपनियों के प्रवेश करने के कारण मुक्त बाजार परिदृश्य उभरा, भूस्वामियों की उच्च अपेक्षाओं के कारण ओएमसीज के लिए उपयुक्त भूमि की उपलब्धता बहुत महत्वपूर्ण हो गई। इसके अलावा, देश में आर्थिक विकास के कारण भूमि की कमी हो गई, यह महंगी हो गई और भूस्वामियों के लिए वैकल्पिक लाभदायक उद्देश्यों के लिए ऐसी भूमि का उपयोग करने के नए अवसर भी खुल गए। उपर्युक्त के कारण, सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसी को खुदरा बिक्री केंद्र डीलरशिप के आवंटन में अ.जा./अ.ज.जा. के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण प्रतिशत को पूरा करना बहुत मुश्किल हो रहा था। उपर्युक्त को देखते हुए, डीलर चयन पर नीति को एमओपीएंडएनजी द्वारा पत्र सं. पी-19011/7/2011-आईओसी दिनांक 20.07.2012 द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसमें अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणी के तहत विज्ञापित स्थानों के लिए आवेदन करने वालों सहित सभी आवेदकों को भूमि की व्यवस्था करने की आवश्यकता होती है।

- सुरक्षा जमा राशि: अत्याधुनिक डीयू, उपकरण आदि के लागू होने के साथ, सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमजीज को खुदरा बिक्री केंद्रों पर निवेश की सुरक्षा के लिए सुरक्षा जमा राशि में वृद्धि की गई थी।

- <u>शिकायत शुल्क:</u> निहित और तुच्छ शिकायतों को हतोत्साहित करने के लिए शिकायत शुल्क लगाया गया था। तथापि, चूंकि शिकायत के प्रमाणित होने की स्थिति में पूरा शुल्क लौटा दिया जाता है, यह सुनिश्चित किया जाता है कि वास्तविक शिकायतों का भुगतान न करना पड़े।

13. समिति को यह भी सूचित किया गया कि संशोधित 2014 दिशानिर्देशों के अनुसार जहां अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवार को भूमि की व्यवस्था करने की आवश्यकता होती है, वर्ष के दौरान अ.जा./अ.ज.जा. को लागू करने के प्रतिशत हिस्से के आंकड़ों के अनुसार, खुदरा बिक्री केंद्रों के चालू होने की कुल संख्या की तुलना में अ.जा./अ.ज.जा. खुदरा बिक्री केंद्रों को चालू करने की सफलता दर में काफी सुधार हुआ है। ओएमसी-वार विवरण नीचे दिया गया है:

ओएमसी	**2011-12**	**2021-22 (अप्रैल-दिसंबर 21)**
बीपीसीएल	3.4%	25.6%
आईओसीएल	2.7%	24.30%
एचपीसीएल	2.7%	22.9%

<u>एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशनशिप</u>

14. एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के चयन के लिए एकीकृत दिशानिर्देश दिनांक 23.06.2016 को जारी किए गए थे। नए दिशानिर्देशों के लागू होने के साथ एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन में पारदर्शिता के लिए ओएमसी द्वारा पारदर्शी ऑनलाइन प्रणाली विकसित और कार्यान्वित की गई थी। यह पहले की नीति की तुलना में लाभप्रद है और आवेदकों को अधिक लचीलापन और सुगमता प्रदान करता है। चयन के लिए वर्तमान एकीकृत दिशानिर्देश नीति पिछली नीतियों का सुधार है। एकीकृत चयन दिशानिर्देशों और पिछले दिशानिर्देशों के बीच तुलना इस प्रकार है:-

विवरण	**पिछले दिशानिर्देश**	**एकीकृत चयन दिशानिर्देश**
दिशा-निर्देश	नियमित डिस्ट्रीब्यूटरशिप और आरजीजीएलवी के लिए अलग दिशानिर्देश	सभी प्रकार की डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए एकीकृत दिशानिर्देश
डिस्ट्रीब्यूटरशिप के प्रकार	2 प्रकार की डिस्ट्रीब्यूटरशिप - नियमित और आरजीजीएलवी और बाजार के तीन प्रकार - शहरी, शहरी-ग्रामीण और ग्रामीण	चार प्रकार के डिस्ट्रीब्यूटरशिप क्षेत्र – शहरी, रर्बन, ग्रामीण और दुर्गम वितरक
व्यक्ति-इतर से आवेदन	व्यक्ति-इतर केवल नियमित एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं	केवल व्यक्ति ही आवेदन कर सकते हैं। व्यक्ति -इतर किसी भी प्रकार के एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आवेदन नहीं कर सकते

एलपीजी सुविधा केंद्र	सुविधा केंद्र की कोई अवधारणा नहीं	एलपीजी 'सुविधा केंद्र' का प्रावधान किया गया है जो एलपीजी ग्राहकों को सुविधा प्रदान करने के लिए ओएमसी के विवेकाधिकार पर अस्थायी आधार पर स्थापित किया गया है, जब तक कि स्थान को कवर करने के लिए कोई नई एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्थापित नहीं कर दी जाती।
महिलाओं के लिए आरक्षण	महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण नहीं	महिलाओं के लिए 33% की सभी श्रेणियों में आरक्षण प्रदान किया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड के लिए यह 30% है।
पीएच (दिव्यांग) उम्मीदवारों के लिए आरक्षण	संयुक्त श्रेणी (सीसी) नामक आरक्षण के लिए पीएच श्रेणी के आरक्षण को उप श्रेणी में शामिल किया गया था: 4% आरक्षण।	पीएच श्रेणी (दिव्यांग) में 3% आरक्षण के साथ आरक्षण के लिए एक स्वतंत्र उप-श्रेणी बनाई गई है।
योग्य भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण	'जीपी' श्रेणी के तहत भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई आरक्षण नहीं	सैन्य सेवा के लिए गंभीर कारणों से युद्ध में/परिचालन क्षेत्र में या शांति में सेवा करते समय दिव्यांग हुए सैनिकों के अलावा, भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण प्रदान किया गया। रक्षा, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों, भूतपूर्व सैनिकों आदि को परस्पर प्राथमिकताएं।
जीपी श्रेणी में परस्पर प्राथमिकता	जीपी श्रेणी में कोई परस्पर प्राथमिकता नहीं	ड्रॉ आयोजित करते समय निम्नलिखित क्रम में जीपी श्रेणी में परस्पर प्राथमिकता लागू की गई है। सूची 1: सशस्त्र बलों में कार्यरत कर्मी के आश्रित/विधवाएं। सूची 2: सशस्त्र बलों के दिव्यांग कर्मी, सूची 3: सशस्त्र बलों की सेवा करने वाले भूतपूर्व सैनिक, सूची 4: केंद्र/राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मियों की विधवाएं/आश्रित जो ड्यूटी का पालन करते हुए शहीद हो गए और केंद्र/राज्य तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्मिक जो ड्यूटी का पालन करते हुए दिव्यांग हो गए।

ओएसपी/एफएफ के लिए आरक्षण	सीसी श्रेणी में दिव्यांगजनों (पीएच) के साथ 4% आरक्षण प्रदान किया गया।	अब अलग कर दिया गया है और ओएसपी/ एफएफ श्रेणी के लिए विशेष रूप से सीसी श्रेणी में 1% आरक्षण प्रदान किया गया है।
आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष (एफएफ श्रेणी और एसकेओ डीलरों को छोड़कर)।	ऊपरी आयु सीमा 60 वर्ष (एफएफ श्रेणी को छोड़कर)।
निवास	नियमित एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए भारतीय नागरिक और भारत का निवासी। आवेदन की तिथि के अनुसार विज्ञापित आरजीजीएलवी के ग्राम पंचायत के निवासी।	भारतीय नागरिक और भारत का निवासी।
शैक्षणिक योग्यता	आरजीजीएलवी के लिए 10वीं कक्षा या समकक्ष की न्यूनतम योग्यता और नियमित डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए स्नातक या समकक्ष की न्यूनतम योग्यता (एफएफ को छोड़कर)।	डिस्ट्रीब्यूटरशिप (एफएफ को छोड़कर) के सभी प्रारूपों के लिए 10वीं कक्षा की न्यूनतम योग्यता ।
निधियों की आवश्यकता	नियमित डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए 10 से 15 लाख रुपए; आरजीजीएलवी के लिए 4 लाख रुपए	निधियों की आवश्यकता पात्रता मानदंड नहीं।
भूमि स्वामित्व के लिए परिवार इकाई परिभाषा	''परिवार इकाई'' में आवेदक के माता-पिता और दादा-दादी (मातृत्व और पितृत्व दोनों) शामिल हैं	परिवार इकाई की परिभाषा का विस्तार करके उसमें आवेदक या उसके पति/पत्नी (विवाहित आवेदकों के मामले में) माता-पिता और दादा-दादी (मातृत्व और पितृत्व दोनों) हैं। महिला आवेदकों के लिए, ससुराल पक्ष की भूमि भी शामिल है।
भागीदार के रूप में जीवनसाथी	विवाहित एलओआई धारकों के लिए एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप में जीवनसाथी को भागीदार के रूप में लेना अनिवार्य	एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप में भागीदार के रूप में जीवनसाथी को शामिल करना अनिवार्य नहीं है
शपथपत्र	विभिन्न घोषणाओं के लिए शपथपत्र आवश्यक	आवेदन पत्र जमा करने के समय शपथपत्रों को स्व-घोषणा सत्यापन के साथ बदल दिया गया है।

आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए स्थानों का रोस्टर बनाना	दो 200 प्वाइंट रोस्टर रखा गया। नियमित एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप और आरजीजीएलवी के लिए एक-एक।	तीन 200 प्वाइंट रोस्टर रखे गए। शहरी और शहरी वितरक के लिए संयुक्त रोस्टर। ग्रामीण वितरक और दुर्गम क्षेत्रीय वितरक के लिए एक-एक रोस्टर।
आवेदन राशि	अप्रतिदेय आवेदन शुल्क: 1,000/- रुपए प्रति आवेदन	प्रति आवेदन अप्रतिदेय आवेदन शुल्क: शहरी वितरक और रर्बन वितरक के लिए: रु.1,000/- प्रति आवेदन (ओबीसी श्रेणी के लिए रु.5000/-, अ.जा./अ.ज.जा. के लिए: रु.3,000/-)। ग्रामीण वितरक और दुर्गम क्षेत्रीय वितरक: रु.10,000/- प्रति आवेदन (ओबीसी श्रेणी के लिए: रु.5,000/-, अ.जा./अ.ज.जा. के लिए: रु.3,000/-)
उम्मीदवार के लिए एफवीसी आयोजित करने हेतु शुल्क के रूप में जमा की गई प्रतिभूति राशि	नियमित डिस्ट्रीब्यूटरशिप: शहरी बाजार के लिए रु.50,000/- और शहरी-ग्रामीण और ग्रामीण श्रेणी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए रु.25,000/-। आरजीजीएलवी के लिए: रु.20,000/-.	एफवीसी आयोजित करने के लिए जमा की गई जमानत राशि: शहरी वितरक और रर्बन वितरक के लिए: रु.50000/- (ओबीसी वर्ग के लिए: रु.40,000/-, अ.जा./अ.ज.जा. के लिए: रु.30,000/- रुपए)। ग्रामीण वितरक और दुर्गम क्षेत्रीय वितरक के लिए: रु.40,000/- (ओबीसी वर्ग के लिए: रु.30,000/- रुपए, अ.जा./अ.ज.जा. के लिए: रु.20,000/-)
प्रतिभूति जमा राशि	नियमित डिस्ट्रीब्यूटरशिप: शहरी बाजार के लिए 5 लाख रुपए और शहरी-ग्रामीण और ग्रामीण श्रेणी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए 2.5 लाख रुपए। आरजीजीएलवी के लिए: 2 लाख रुपए।	अप्रतिदेय प्रतिभूति जमा राशि: शहारी वितरक और रर्बन वितरक: (ओबीसी श्रेणी के लिए: 4 लाख रुपए, अ.जा./अ.ज.जा. के लिए: 3 लाख रुपए)। ग्रामीण वितरक और दुर्गम क्षेत्रीय वितरक के लिए: 4 लाख रुपए (ओबीसी वर्ग के लिए: 3 लाख रुपए, अ.जा./अ.ज.जा. के लिए: 2 लाख रुपए)

चयन का तरीका	नियमित एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए: दो समाचारपत्रों में विज्ञापन का प्रकाशन – एक अंग्रेजी दैनिक जिसका राज्य में सर्वाधिक प्रचलन हो और एक स्थानीय भाषा में जिसका जिले में सर्वाधिक प्रचलन हो। आरजीजीएलवी के लिए: 2 स्थानीय समाचार-पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन - एक, अंग्रेजी दैनिक जिसका राज्य में व्यापक प्रचलन है और दूसरे, जिले में व्यापक प्रचलन हो।	चयन संक्षिप्त विज्ञापनों के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया जाएगा। संक्षिप्त विज्ञापन तीन स्थानीय समाचार-पत्रों में प्रकाशित किए जाएंगे, जिनमें से एक, राज्य में सबसे अधिक प्रचलन में हो और दो, जिले में सबसे अधिक प्रचलन हो। अंग्रेजी में विज्ञापन प्रकाशित करना अनिवार्य नहीं है। किसी भी विसंगति के लिए स्थानीय भाषा का विज्ञापन मान्य होगा।
शिकायत जांच शुल्क	शिकायत शुल्क: रु.1000/-। जिन शिकायतों के साथ शिकायत शुल्क नहीं है या परिणाम घोषित होने पर ड्रा तिथि के 30 दिनों के बाद प्राप्त शिकायतों की जांच नहीं की जाएगी।	शिकायत शुल्क: रु. 5000/-। जिन शिकायतों के साथ शिकायत शुल्क नहीं है या ड्रा तिथि या परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के बाद प्राप्त शिकायतों की जांच नहीं की जाएगी।
गोदाम भूमि	गोदाम भूमि नगरपालिका सीमा के भीतर स्थित होनी चाहिए। शहरी/ग्रामीण के लिए एक ही राज्य में गोदाम के लिए प्रस्तावित स्थान की नगरपालिका/नगर/गांव सीमा से 15 कि.मी. के भीतर भूमि के एक भूखंड का "स्वामित्व" होना चाहिए। आरजीजीएलवी के लिए भूमि आरजीजीएलवी स्थान पर स्थित होनी चाहिए।	'एक्स' और 'वाई' श्रेणी के अंतर्गत आने वाले स्थानों के लिए चयनित शहरी और रुर्बन वितरक उम्मीदवारों को मेट्रो शहरों/शहरों/राज्यों को विज्ञापित स्थान के शहर/शहर की नगरपालिका सीमा के भीतर और 15 कि.मी. के भीतर गोदाम बनाने की अनुमति दी जाएगी। ग्रामीण वितरक के लिए उम्मीदवार को विज्ञापित स्थान से 15 कि.मी. के भीतर न्यूनतम आयाम 21 मीटर x 26 मीटर की भूमि का 'स्वामित्व' होना चाहिए। दुर्गम क्षेत्रीय वितरक के लिए उम्मीदवार के पास विज्ञापित स्थान के अनुसार गांव/गांवों के समूह की सीमा के भीतर न्यूनतम आयाम 15 मीटर x 16 मीटर की भूमि का 'स्वामित्व' होना चाहिए।

15. यह भी बताया गया है कि ओएमसी के अ.जा.-अ.ज.जा. एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों की संख्या में 1 जनवरी 2022 तक 87% की वृद्धि हुई है, जबकि 1 अप्रैल 2014 को अ.जा.-अ.ज.जा. डिस्ट्रीब्यूटरों की संख्या का विवरण नीचे दिया गया है:

दिनांक 01.04.2014 बनाम 01.09.2021 को अ.जा./अ.ज.जा. डिस्ट्रीब्यूटरों की कुल संख्या		
ओएमसी	01.04.2014	01.01.2022
अ.जा./अ.ज.जा. डिस्ट्रीब्यूटर	2692	5026

अ.जा./अ.ज.जा. एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों में यह उल्लेखनीय वृद्धि निम्नलिखित कारणों से है:

क. एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के चयन के लिए एकीकृत दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन 23.06.2016 से हुआ जिसमें पहले के दिशा-निर्देशों की तुलना में चयन मानदंड में ढील दी गई है और यह भी कि पूरी चयन प्रक्रिया ऑनलाइन की गई, जिससे पारदर्शिता आई और चयन प्रक्रिया में तेजी आई।

ख. एकीकृत दिशानिर्देशों के तहत उद्योग के आधार पर 6300 से अधिक स्थानों का विज्ञापन किया गया, जिनमें से 80% से अधिक स्थानों को अब चालू कर दिया गया है।

16. समिति ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की संख्या के बारे में पूछा, जिन्होंने पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी के वितरण के लिए आवेदन किया है और उनमें से कितने को आशय पत्र (एलओआई) जारी किया गया है और बाद में पेट्रोल पंप आवंटन और गैस डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए नियुक्ति पत्र जारी किया गया है। इसके जवाब में, मंत्रालय ने अपने साक्ष्योपरांत उत्तरों में कहा कि दिनांक 01.04.2022 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विज्ञापित स्थलों (खुदरा बिक्री केंद्र के लिए) की संख्या, इस श्रेणी के तहत उन स्थलों की संख्या जहां आवेदन प्राप्त हुए, जारी किए गए आशय पत्रों (एलओआई) की संख्या और चालू किए गए आरओ की संख्या साथ ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए पीएसयू ओएमसीज द्वारा जारी नियुक्ति पत्रों (एलओए) के ब्योरे विज्ञापनवार नीचे दिए गए हैं:

सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसी (आईओसी/बीपीसी/एचपीसी)	**अनु.जाति और अनु.जनजाति श्रेणी के तहत विज्ञापित आरओ स्थलों की संख्या**	**अनु.जाति और अनु.जनजाति श्रेणी के तहत उन आरओ स्थलों की संख्या जिनके लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं**	**अनु. जाति और अनु.जनजाति को जारी आशय पत्रों की संख्या**	**अनु.जाति और अनु.जनजाति को जारी आशय पत्रों सहित चालू किए गए आरओ**
2014 विज्ञापन	**13046**	**5952**	**2968**	**2032**
2018 विज्ञापन	**20921**	**20360**	**8247**	**3139**

17. वर्ष 2014 और वर्ष 2018 में जारी विज्ञापनों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप हेतु सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसी द्वारा कुल 11,215 आशय पत्र (एलओआई) जारी किए गए हैं। दिनांक 01.04.2022 की स्थिति के अनुसार इनमें से 5171 खुदरा बिक्री केन्द्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के तहत चालू कर दिए गए हैं। दिनांक 01.04.2022 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के तहत कुल 6044 आशय पत्र चालू होने के विभिन्न चरणों में लम्बित हैं। आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल द्वारा प्रचालित (चालू) किए जाने वाले लम्बित आशय पत्र क्रमशः 2635, 1862 और 1547 हैं।

<u>एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप</u>

18. समिति द्वारा यूएसजी 2016 के अनुसार 01-04-22 तक गैस एजेंसी के डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आवंटन के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की संख्या के बारे में पूछे जाने पर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नलिखित विवरण प्रदान किया:

ओएमसी (आईओसी/बीपीसी/एचपीसी)	विज्ञापित अनु.जाति और अनु. जनजाति स्थल	अनु.जाति और अनु. जनजाति आवेदक
2016-17	324	7000
2017-18	979	15154
2018-19	89	1205
2019-20	15	377
2020-21	5	2
2021-22	11	222
योग	**1423**	**23960**

19. कई मामलों में एक विशेष वर्ष में विज्ञापन के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को आशय पत्र (एलओआई) और नियुक्ति पत्र (एलओए) जारी किए गए, जिसमें काफी समय लगा और बाद के वर्षों में एलओआई और एलओए जारी करने में काफी समय लगा, की स्थिति के संबंध में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिकगैस मंत्रालय ने 01-04-2022 को यूएसजी 2016 के अनुसार संचयी आधार पर निम्नानुसार बताया:

ओएमसी	विज्ञापित अनु.जाति और अनु. जनजाति स्थल	जारी एलओआई	जारी एलओए
आईओसी	723	606	568
बीपीसी	351	283	263
एचपीसी	349	296	282
ओएमसी	**1423**	**1185**	**1113**

20. सभी अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के स्थान जहां ऊपर दिए गए बिंदु (ख) में उल्लिखित एलओए जारी किए गए थे, को चालू कर दिया गया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के तहत कुल 1185 एलओआई जारी किए गए हैं। इनमें से 72 एलओआई अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के तहत चालू करने के लिए प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं। समिति को यह भी सूचित किया गया है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ओएमसी द्वारा जारी किए गए 2164 एलओआई में से 2076 पहले ही चालू कर दिए गए हैं। दिनांक 01.04.22 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 88 एलओआई चालू करने के विभिन्न चरणों में हैं।

21. मंत्रालय ने विषय पर समिति के समक्ष दिए गए एक पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण में निम्नलिखित विवरण प्रदान किए हैं:

<u>01.04.2022 को अनुसूचित जाति को आरओ का आवंटन</u>

पीएसयू	आरओ की कुल संख्या	अजा कों आवंटित आरओ	प्रतिशत
बीपीसीएल	16434	1981	12.05
आईओसीएल	28284	3435	12.1
एचपीसीएल	16010	2292	14.3

01.04.2022 को अनुसूचित जनजाति को आरओ का आवंटन

पीएसयूज	आरओ की कुल संख्या	अजजा कों आवंटित आरओ	प्रतिशत
बीपीसीएल	16434	845	5.14
आईओसीएल	28284	1488	5.3
एचपीसीएल	16010	938	5.9

01.04.2022 को अनुसूचित जाति को एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप का आवंटन

पीएसयूज	डिस्ट्रीब्यूटरशिप की कुल संख्या	अजा को आवंटित डिस्ट्रीब्यूटरशिप	प्रतिशत
बीपीसीएल	5598	963	17.20
आईओसीएल	11520	1810	15.71
एचपीसीएल	5454	913	16.7

01.04.2022 को अनुसूचित जनजाति को एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप का आवंटन

पीएसयूज	डिस्ट्रीब्यूटरशिप की कुल संख्या	अजजा कों आवंटित डिस्ट्रीब्यूटरशिप	प्रतिशत
बीपीसीएल	5598	282	5.04
आईओसीएल	11520	743	6.45
एचपीसीएल	5454	339	6.2

22. साक्ष्य के दौरान, माननीय सभापति ने निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया:

"पॉलिसी में जो परिवर्तन हुआ, तो किस लेवल से आदेश चला गया? क्या वह मंत्री जी के लेवल से गया या किसी अधिकारी के लेवल से आदेश गया? उस वक्त मुझे बताया गया था कि यह फैसला बोर्ड के स्तर पर लिया गया है**। मंत्री जी को पता नहीं था, तो यह बहुत ही गम्भीर बात है। इस प्रकार का जो मसला है,** यह एक नीतिगत निर्णय है**। इस प्रकार का डिसिज़न बिना हायर लेवल को बताए किस प्रकार से लिया जाता है? अगर इस तरह की बात किसी से हुई है, तो हमें एक एकाउंटैबिलिटी तय करनी होगी क्योंकि इस प्रकार का निर्णय कोई नहीं कर सकता है।"**

23. हालाँकि, जब पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रतिनिधि इस पर विस्तार से नहीं बता सके, तो माननीय सभापति ने मंत्रालय के इस ढीले रवैये की निंदा करते हुए निम्नवत कहा:

"मैंने बोला था कि यह मीटिंग कब हुई थी और उस वक्त हमें डेट बतायी गयी थी। आपने भी लिखित रूप से हमें वह डेट बतायी है, मगर यहां जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, शायद किसी

को पता नहीं है। आपने जवाब में हमें यह लिखा है कि "'खुदरा बिक्री केंद्रों के संबंध में जवाब''**। जो आपने लिखकर जवाब दिया है, वह मैं अक्षरश: बोल रहा हूं।** सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने 21 मई, 2014 से डीलरों के चयन दिशानिर्देशों को संशोधित किया।**" यह 21 मई को हुआ है तथा यह निर्णय ऑयल कंपनी के तौर पर लिया गया है और न ही न ही सचिवालय को बताया गया है। ऑयल कंपनी इस प्रकार का निर्णय अपनेआप कैसे ले सकती है? मैं बहुत हैरान हूं।** यह दोबारा लिखा है कि '2014 के दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन में जो बड़े बदलाव हुए, वे नीचे दिए गए हैं।" **यह नीचे लिखा हुआ है। माथुर जी यह बहुत ही गंभीर विषय है, जो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। वह भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, जो बहुत ही पिछड़ा हुआ तबका है।"**

24. माननीय सभापति ने पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों के आवंटन के संबंध में निम्नलिखित स्पष्टीकरण मांगा:

"आपने जो आँकड़े दिए हैं, चाहे एससी/एसटी से संबंधित आरओज के एलॉटमेंट हों या एलपीज के एलॉटमेंट हों, मैं जानना चाहता हूँ कि जो एलॉटमेंट हुए हैं, दो प्रकार के लोकेशंस होते हैं। मान लीजिए कि एक दिल्ली और उसके अगल-बगल के लोकेशन हैं और दूसरा बहुत ही रिमोट लोकेशन है। इसमें जो क्रीमी लोकेशंस हैं, वे कितने परसेंट हैं। जो बहुत ही रिमोट लोकेशंस में हैं, जहाँ उनको कोई बिज़नेस ही नहीं मिलता है, अगर वहाँ एससी/एसटी के लोग ज्यादा हैं, तो मैं समझता हूँ कि यह अन्याय होगा। हमें उसके आँकड़े चाहिए। मुझे बहुत ही कंक्रीट आँकड़ा चाहिए। आपको उसका जो भी ग्रेडेशन करना हो, आप कीजिए। मान लीजिए कि सिटीज में आप ए ग्रेड कहें, ए प्लस या बी कहें, जो भी हो। जो गांव में या जंगल में हैं, तो वहाँ कौन फ्यूल फिल-अप कराने आएगा? इसलिए हमें इसके आँकड़े दीजिए।"

25. समिति द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को क्रमशः क्रीमी/लाभप्रद और दूरस्थ स्थानों में आवंटित खुदरा बिक्री केंद्रों की संख्या के संबंध में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने साक्ष्योपरान्त उत्तरों में बताया कि खुदरा बिक्री केंद्रों के स्थानों की पहचान सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसी द्वारा की जाती है और मौजूदा मानदंडों के अनुसार वाणिज्यिक/न्यूनतम मात्रा के आधार पर विज्ञापित की जाती है। खुदरा बिक्री केंद्रों की स्थापना के लिए अंतिम रूप दिए गए स्थानों को सार्वजनिक क्षेत्र के ओएमसी द्वारा प्रत्येक राज्य के रोस्टर के तहत आरक्षण की विभिन्न श्रेणियों के तहत रखा जाता है ताकि प्रत्येक श्रेणी के लिए प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित और बनाए रखा जा सके और स्थानों का कोई अन्य वर्गीकरण न हो एवं इस प्रकार, स्थानों को क्रीमी/लाभदायक और दूरस्थ स्थानों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है।

26. समिति ने आवश्यक अनुमोदन और लाइसेंस प्राप्त करने के बाद किसी परिचालित खुदरा बिक्री केंद्र या गैस एजेंसी स्थापित करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता के वितरण के लिए उपलब्ध तंत्र के बारे में भी पूछा। मंत्रालय ने अपने साक्ष्योपरान्त उत्तरों में निम्नवत् बताया:

<u>खुदरा बिक्री केंद्र डीलरशिप</u>

27. अनुमोदन प्राप्त होने के बाद और आरओ चालू होने के समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के एलओआई धारकों के अनुरोध पर एलओआई धारकों को मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसी द्वारा डीलरशिप के पूर्ण प्रचालन चक्र के लिए पर्याप्त कार्यशील पूंजी सहायता/ऋण प्रदान किया जाता है। मौजूदा दिशानिर्देशों की संग्रह निधि योजना के अनुसार ऋण अनुरोध चयनित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के एलओआई धारकों/डीलरों को अनुमोदित किया

जाता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को डीलरशिप को उत्पाद की आपूर्ति के माध्यम से वित्तीय/कार्यशील पूंजी ऋण दिया जाता है।

<u>एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप</u>

28. एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप को चालू करने की सुविधा के लिए आवश्यक अनुमोदन और लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ओएमसीज अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को कार्यशील पूँजीगत ऋण प्रदान करते हैं। शहरी, रर्बन और ग्रामीण बाजार डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए डिस्ट्रीब्यूटरशिप के पूर्ण प्रचालन-चक्र के लिए (एसबीआई पीएलआर + 1%) वार्षिक ब्याज की दर पर पर्याप्त कार्यशील पूँजीगत ऋण प्रदान किया जाता है। डीकेवी के लिए ब्याज की दर 11% वार्षिक है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप चालू होने के 13वें महीने से घटते क्रम में शेष राशि पर कार्यशील पूँजी और उस पर लगाए गए ब्याज, दोनों को मिलाकर, 100 समान मासिक किस्तों में वसूली की जाएगी।

समिति को पिछले पांच वर्षों के दौरान संग्रह निधि योजना के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा प्रदान की गई कार्यशील पूंजी के विवरण के बारे में भी बताया गया जो निम्नानुसार है:

<u>खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप</u>

29. पिछले पाँच वर्षों के दौरान "संग्रह निधि योजना" के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों/डीलरशिप को प्रदत्त वित्तीय सहायता का विवरण निम्नानुसार है:

पिछले पाँच वर्षों की अवधि के दौरान अर्थात् वर्ष 2017-18; 2018-19; 2019-20; 2020-21 और 2021-22 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसी द्वारा प्रदत्त संग्रह निधि सम्बन्धी सहायता निम्नानुसार है: -

पीएसयू ओएमसी	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति डीलर	राशि (लाख रुपए में)
आईओसीएल	1511	24,092
बीपीसीएल	1687	22,476
एचपीसीएल	680	10,217

<u>एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप</u>

30. पिछले पाँच वर्षों के दौरान ओएमसीज द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों को संग्रह निधि योजना के अंतर्गत प्रदत्त कार्यशील पूँजी का विवरण निम्नानुसार है:-

ओएमसी	डीलरों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) की संख्या	राशि (लाख रुपए में)
एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर	109	530.83

31. समिति ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के प्रतिशत के बारे में भी पूछा, जो वर्ष 2014 से हर वर्ष रिटेल आउटलेट या गैस एजेंसी को सफलतापूर्वक चालू करने में सक्षम हैं। मंत्रालय ने अपने साक्ष्योपरांत उत्तरों में निम्नानुसार जानकारी प्रदान की:

<u>खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप</u>

32. सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा चालू किए गए आरओ का विवरण नीचे दिया गया है:

पीएसयू ओएमसीज	चालू किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरओ (क)	चालू किए गए आरओ की कुल संख्या (ख)	चालू किए गए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के आरओ के हिस्से का % ग=क/ख%
2014-15	**44**	**2022**	2.17
2015-16	**180**	**2252**	7.99
2016-17	**400**	**2055**	19.46
2017-18	**577**	**2087**	27.64
2018-19	**478**	**1481**	32.27
2019-20	**678**	**4042**	16.77
2020-21	**1682**	**7602**	22.12
2021-22	**1432**	**5342**	26.80

एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप

33. अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति श्रेणी के चालू किए गए एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	अनुसूचित जाति/जनजाति	विपणन योजना के अंतर्गत कुल योग	अनुसूचित जाति/जनजाति का %
2014-15	453	2138	21.19%
2015-16	393	1962	20.03%
2016-17	191	882	21.66%
2017-18	257	1312	19.59%
2018-19	699	3590	19.47%
2019-20	250	976	25.61%
2020-21	129	485	26.60%
2021-22	59	211	27.96%
कुल	**2431**	**11556**	**21.04%**

34. मंत्रालय से एक लिखित प्रश्नावली में खुदरा बिक्री केंद्र या गैस एजेंसी के आवंटन के संबंध में वर्ष 2014 के बाद नए दिशानिर्देशों के आने के बाद से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा दायर शिकायतों की संख्या और प्रकृति के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए कहा गया था। इस संबंध में निम्नवत् बताया गया।

<u>खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप</u>

35. वर्ष 2014 में खुदरा बिक्री केन्द्र के आवंटन के सम्बन्ध में नए दिशानिर्देशों के आने के बाद से सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसीज को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अंतर्गत विज्ञापित स्थलों के चयन के सम्बन्ध में 805 शिकायतें (आईओसीएल:273/ बीपीसीएल:306/एचपीसीएल:226) प्राप्त हुई हैं। शिकायतें मुख्य रूप से चयन प्रक्रिया, भूमि सम्बन्धी मुद्दे और आवेदकों के विरूद्ध गलत/झूठी जानकारी या दस्तावेज प्रस्तुत करने से संबंधित हैं।

<u>एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप</u>

36. गैस एजेंसी के आवंटन के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है।

37. समिति ने आगे स्पष्टीकरण मांगा कि किस आधार पर खुदरा बिक्री केंद्रों के आवंटन के संबंध में नई आवंटन नीति तैयार की गई थी और क्या नई नीति के निर्माण के दौरान सभी हितधारकों और प्रत्येक द्वारा दी गई जानकारी पर परामर्श किया गया था। मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन के लिए "ड्रा ऑफ लॉट" की सफलता से प्रोत्साहित होकर, खुदरा आउटलेट डीलरों के चयन के लिए उसी प्रक्रिया को अपनाने का निर्णय लिया गया था। वर्ष 2014 आरओ डीलर चयन दिशानिर्देश पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा दिनांक 20.07.2012 और 17.02.2014 के पत्रों द्वारा अनुमोदित व्यापक दिशानिर्देशों के आधार पर तैयार किए गए थे। यह पूछने पर कि क्या दिशानिर्देशों में संशोधन मंत्री स्तर या बोर्ड स्तर पर किया गया था, समिति को सूचित किया गया था कि खुदरा बिक्री केंद्रों के लिए डीलर चयन दिशानिर्देश सार्वजनिक क्षेत्र के ओएमसी द्वारा संशोधित किए गए थे और 21 मई, 2014 को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पत्र संख्या पी-30024/33/2012-एमसी दिनांक 17.02.2014 के अनुरूप जारी किए गए थे।

38. इसके अलावा, नई आवंटन नीति, चयन 2016 के लिए एकीकृत दिशानिर्देश, प्रचलित चयन दिशानिर्देशों की समीक्षा के आधार पर वित्त और भूमि स्वामित्व संबंधी मापदंडों को सुधारने और आसान बनाने के लिए तैयार किया गया था, जबकि बाजार वर्गीकरण और रीफिल सीलिंग सीमा पर भी विचार किया गया था। यूएसजी-2016 नीति के लिए प्रदान की गई इनपुट की सभी ओएमसी द्वारा समीक्षा की गई और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से उचित विचार-विमर्श और अनुमोदन के बाद लागू किया गया।

39. समिति ने पहले की नीति की बहाली और पहले की नीति की बहाली के मामले में संभावित बाधाओं के संबंध में मंत्रालय के विचार भी मांगे। मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में कहा कि खुदरा बिक्री केंद्रों के संबंध में, पिछली नीति की बहाली एक प्रतिगामी कदम होगा। वर्ष 2014 में सार्वजनिक क्षेत्र के ओएमसी द्वारा शुरू किए गए डीलर चयन दिशानिर्देश जिसे वर्ष 2018 में चयन दिशानिर्देश जारी करने के साथ भारत सरकार की "ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस" पहल को शामिल करते हुए और अधिक पारदर्शी बनाया गया था। नए दिशानिर्देशों ने न केवल चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाई है, बल्कि आवेदनों के प्रसंस्करण की गति में भी काफी वृद्धि की है और इसलिए पहले की नीति पर वापस जाने से उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।

40. अपने साक्ष्योपरांत उत्तरों में, मंत्रालय ने आगे कहा कि वर्ष 2014 से पहले और 2014 के बाद के दिशा-निर्देशों के अनुसार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए आरक्षित स्थानों के संबंध में, संबंधित तेल कंपनी अपनी लागत पर सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ तैयार खुदरा बिक्री केंद्र उपलब्ध कराएगी। हालांकि वर्ष 2014 से पहले के दिशा-निर्देशों में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों से भूमि की पेशकश करने की उम्मीद नहीं थी, आवेदन के समय या बाद में भूमि की पेशकश के लिए उन पर कोई प्रतिबंध नहीं था। तथापि, चूंकि अधिकांशतः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को भूमि की पेशकश नहीं की गई थी, इसलिए आउटलेट चयन और एलओआई जारी करने के बावजूद उपयुक्त भूमि की कमी के कारण चालू नहीं हो रहे थे।

41. यह भी कहा गया कि हालांकि, वर्ष 2014 के बाद, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए आवेदन के समय उपयुक्त भूमि (या तो स्वामित्व/पट्टे पर/फर्म प्रस्ताव के आधार पर प्राप्त) की पहचान करना और प्रस्ताव देना अनिवार्य कर दिया गया था, ओएमसी द्वारा (दीर्घकालिक पट्टे के आधार पर या एकमुश्त खरीद पर) भूमि की खरीद या तो एलओआई धारक से या सीधे जमीन मालिक से, जिसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक द्वारा पहचाना गया था, जारी है। यह ध्यान दिया जाए कि संशोधित दिशानिर्देशों ने ओएमसी को अजा/अजजा आरक्षित स्थानों के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान करने में सहायता की और ओएमसी की ओर से भूमि की खरीद और अजा/अजजा आवेदकों को बुनियादी ढांचा प्रदान करने के दायित्वों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

42. इसके अलावा, यह ध्यान दिया जाए कि कई सार्वजनिक विज्ञापनों के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के एलओआई धारकों के लिए उपयुक्त भूमि की खरीद के लिए ओएमसी के प्रयासों और विभिन्न राज्य सरकारों से उपयुक्त सरकारी भूमि प्रदान करने के अनुरोध के वांछित परिणाम नहीं मिले हैं। पुरानी नीति पर वापस जाना वांछनीय नहीं है क्योंकि यह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए आरओ की कमीशनिंग संख्या पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

43. साक्ष्य बैठक के दौरान, माननीय सभापति ने निम्नलिखित टिप्पणियां की:

"सबसे अहम मुद्दा यह है कि एससी/एसटी के नाम पर उसको जमीन नहीं मिलती है, तो वह मजबूर हो जाता है और वह किसी पैसे वाले के पास जाता है, जिसमें वह निवेश करता है। उसे एक मजदूर से थोड़ा ज्यादा, लगभग 12 हजार रुपए या 15 हजार रुपए प्रति माह पैसे मिल जाते हैं। उसमें नाम तो उसका रहता है। यह बहुत ही गम्भीर विषय है। हमारे सभी सदस्यों ने अपने अनुभव के आधार पर इस मुद्दे को उठाया है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो पहले की पॉलिसी थी, उसमें संबंधित व्यक्ति 100 प्रतिशत आरओ का मालिक होता था, 100 प्रतिशत गैस डिस्ट्रिब्यूशन एजेंसी का मालिक होता था, उसको किसी के पास हाथ नहीं फैलाना पड़ता था क्योंकि सरकार और कम्पनियाँ उसकी मदद में खड़ी रहती थी।"

44. एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशनशिप के संबंध में, समिति द्वारा पूछे जाने पर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने साक्ष्य के बाद अपने उत्तरों में कहा कि पहले की आवंटन नीति में दो अलग-अलग दिशानिर्देश थे, एक रेगुलर एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए और दूसरा आरजीजीएलवी के लिए, जिनका पालन किया जा रहा था। नई आवंटन नीति में, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के चयन के लिए एकीकृत दिशानिर्देश सभी प्रकार के एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए एकल दिशानिर्देश प्रदान करते हैं। पहले की नीति की तुलना में वर्तमान नीति में अधिक लचीलापन है। नई नीति में उद्योग पोर्टल www.lpgvitarakchayan.in के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क के साथ आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किए जाते हैं। चयन के लिए नए एकीकृत दिशानिर्देश सरकारी व्यक्तियों के लिए पात्रता शर्तों और विशेष छूटों पर लचीलापन प्रदान करते हैं जो परस्पर प्राथमिकता रखते हैं। अपने साक्ष्योपरांत उत्तरों में, मंत्रालय ने यह भी बताया कि वर्तमान में सरकार के पास मौजूदा नीति को बदलने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अध्याय 2
सिफारिशें/टिप्पणियां

1. समिति का यह मानना है कि ओएमसी के निदेशक मंडल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय का शायद ही कोई सदस्य शामिल हो। समिति चाहती है की उसे पिछले पांच वर्षों के दौरान आधिकारिक या गैर-आधिकारिक निदेशकों के रूप में निदेशक मंडल में नियुक्त किए गए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की संख्या से अवगत कराया जाए। समिति इस बात पर जोर देना चाहती है कि निदेशक मंडल में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्यों को शामिल करना प्रासंगिक है क्योंकि वे संगठन के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के विचारों को सामने लाते हैं। समिति का सुविचारित मत है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय का एक प्रतिनिधि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की परेशानियों को बेहतर ढंग से जानता है और इस प्रकार निदेशक मंडल में उनकी स्थिति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के हित में कार्य करने के लिए बाध्य है। समिति यह भी महसूस करती है कि निदेशक मंडल में पद के लिए विचार करते समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को उचित महत्व और आवश्यक छूट दी जाए। यह न केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों को नीति/निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा बनने का अवसर प्रदान करेगा, बल्कि संगठन में काम करने वाले अन्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए मंच के रूप में भी कार्य करेगा। समिति यह भी सिफारिश करना चाहती है कि

मंत्रालय निदेशक मंडल में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की नियुक्ति को सुविधाजनक बनाने के लिए मौजूदा नियमों/विनियमों में संशोधन का प्रस्ताव भी करे।

2. समिति मंत्रालय का ध्यान डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/16/2019-स्था.(आरईएस) दिनांक 12.04.2022 की ओर आकर्षित करना चाहती है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उच्च पदों पर पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था है। समिति यह सिफारिश करना चाहती है कि मंत्रालय इसका संज्ञान ले और उक्त डीओपीटी कार्यालय ज्ञापन के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करे। समिति यह भी निर्देश देना चाहती है कि मंत्रालय यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़े कि उक्त कार्य एक निर्धारित समय अवधि के भीतर पूरा हो जाए। इसके अतिरिक्त, समिति को इस संबंध में हुई प्रगति से भी अवगत कराया जाए।

3. समिति यह नोट करके प्रसन्न है कि ओएमसी में कर्मचारियों की संख्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अपेक्षित प्रतिशत को संतुष्ट कर रही है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की भर्ती और पदोन्नति से संबंधित आंकड़े भी आरक्षण/प्रतिनिधित्व के लिए अधिदेशित प्रतिशत का अनुपालन कर रहे हैं। तथापि, बीपीसीएल को इस संबंध में ईमानदारी से और अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता है क्योंकि समूह क, ख और ग श्रेणी के पदों में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत काफी कम है। समिति यह भी नोट करती है कि बीपीसीएल में, समूह ख और ग में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व भी मानक के अनुरूप नहीं है। बीपीसीएल ने बताया है कि महामारी के कारण वर्ष 2020 और 2021 में कोई भर्ती नहीं की गई थी। हालांकि यह ध्यान रखना उचित है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित भर्ती के आंकड़े भी काफी निराशाजनक हैं, जो वर्ष 2019 के लिए क्रमशः 7.7% और 2.1% हैं। इसी तरह, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए समूह क के सबसे निचले स्तर पर पदोन्नति का प्रतिशत क्रमशः 11.11% और 5.55% है, जबकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए समूह ख और ग पदों पर पदोन्नति के लिए यह शून्य है। महामारी के आधार पर उक्त स्थिति को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। समिति यह सिफारिश करना चाहती है कि मंत्रालय सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिदेशित प्रतिनिधित्व को पूरा करने के लिए बीपीसीएल पर दबाव बनाए। समिति को संसद के दोनों सदनों में इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत किए जाने के तीन महीने के भीतर इस संबंध में की गई सुधारात्मक कार्रवाई के साथ पूर्व निर्धारित कम प्रतिनिधित्व के कारणों से स्पष्ट रूप से अवगत कराया जाए। समिति ने यह भी नोट किया है कि आईओसीएल में, समूह क, ख और ग में पदोन्नत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की संख्या वर्ष 2021 के लिए अधिदेशित प्रतिशत से कम है। समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय डीओपीटी दिशानिर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित आरक्षण के प्रतिशत के अनुसार आंकड़े लाने के लिए आईओसीएल को आवश्यक निर्देश भी जारी करे और इस संबंध में किए गए सुधारात्मक उपायों के साथ कम आंकड़ों के कारण प्रस्तुत करे।

4. समिति ने यह नोट किया है कि बीपीसीएल में 3 अनुसूचित जाति और 1 अनुसूचित जनजाति समूह क बकाया रिक्तियां हैं तथा एचपीसीएल में समूह ग में अनुसूचित जाति की 7 बकाया रिक्तियां हैं। आईओसीएल में बकाया रिक्तियों के समूह क में 21 अ.जा. और 24 अ.ज.जा. बकाया रिक्तियों के साथ बड़े पैमाने पर हैं, समूह ग में 11 बकाया रिक्तियां (6 अ.जा. और 5 अ.ज.जा.) हैं और समूह घ में 5 बकाया रिक्तियां (3 अ.जा. और 2 अ.ज.जा.) हैं। समिति

ओएमसीज द्वारा दी गई इस दलील को स्वीकार नहीं करती है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की अपेक्षित संख्या उपलब्ध नहीं है। समिति ने यह सिफारिश की है कि संसद के दोनों सदनों में इस प्रतिवेदन के प्रस्तुत किये जाने के 3 माह के भीतर सार्वजनिक क्षेत्र की सभी संबंधित तेल कंपनियों शीघ्रतिशीघ्र में विशेष भर्ती अभियान चलाया जाए और सभी बकाया रिक्तियों को भरा जाए।

5. समिति को यह सूचित किया गया है कि ओएमसी ठेकेदारों के माध्यम से ठेका श्रमिकों को नियुक्त करती है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि उन्हें विभिन्न लाभ प्रदान किए जाएं। तथापि, समिति को संविदात्मक नियुक्ति के माध्यम से नियोजित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मिकों की संख्या के संबंध में ब्यौरा प्रदान नहीं किया गया है। समिति को इस संबंध में ब्यौरा दिया जाए और क्या इन नियुक्तियों में आरक्षण प्रतिनिधित्व/प्रतिशत को सावधानीपूर्वक बनाए रखा जा रहा है। यदि उक्त प्रयोजन के लिए कोई आंकड़े तैयार नहीं किए गए हैं, तो उसे पिछले 05 वर्षों से संकलित किया जा सकता है और तदनुसार सूचना प्रदान की जा सकती है। समिति डीओपीटी आदेश संख्या 36036/3/2018-स्थापना दिनांक 15.05.2018 की ओर मंत्रालय और ओएमसी का ध्यान आकर्षित करना चाहती है, जिसके तहत 45 दिनों से कम समय तक चलने वाली नियुक्तियों को छोड़कर सभी अस्थायी नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण दिया जाना है। समिति सिफारिश करती है कि प्रमुख नियोक्ता होने के नाते ओएमसीज को संविदात्मक नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदारों पर उपरोक्त आदेश का अक्षरश पालन करने के लिए दबाव डाले। उक्त निर्देशों को भविष्य में किए जाने वाले संविदा दस्तावेज में भी शामिल किया जाये।

6. समिति यह नोट करके हैरान है कि मंत्रालय अपने लिखित उत्तरों में वर्तमान दिशा-निर्देशों को कैसे तैयार किया गया और इसकी अनुमोदन प्रक्रिया के बारे में काफी टालमटोल कर रहा है। यहां तक कि शीर्ष अधिकारी भी समिति के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करते समय इस मामले में अपनी दलील देने में अनभिज्ञ और असंगत थे। इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं दी गई है कि क्या नीति को बोर्ड/मंत्रालय स्तर पर अनुमोदित किया गया था या नहीं। समिति यह बताना चाहती है कि इस मामले में ओएमसी को पूर्ण स्वायत्तता देकर मंत्रालय ने स्वयं अपना दर्जा घटाकर नाममात्र का कर लिया है। वर्तमान दिशा-निर्देश स्पष्ट रूप से ओएमसी के पक्ष में हैं, जिसके तहत उन्हें पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थानों की तलाश करने से मुक्त कर दिया गया है। यही संक्षिप्त कारण है कि क्यों मंत्रालय ने अपने उत्तर में पिछली नीति पर वापस लौटने को समझा है जिसमें स्पष्ट रूप से 'प्रतिगामी' कदम के रूप में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों का पक्ष लिया गया था। समिति यह समझने में असमर्थ है कि मंत्रालय पुरानी नीति की बहाली के संबंध में टालमटोल क्यों कर रहा है। समिति को यह सूचित किया गया है कि वर्ष 2014 में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा दिनांक 20.07.2012 और 17.02.2014 के पत्रों द्वारा अनुमोदित व्यापक दिशानिर्देशों के आधार पर 2014 के खुदरा बिक्री केन्द्र चयन दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं। समिति को उपर्युक्त पत्रों/पत्रों की एक प्रति उपलब्ध कराई जाए। समिति आगे यह उल्लेख करना चाहती है कि चूंकि ओएमसी वाणिज्यिक उद्यम हैं जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है, लेकिन तेल कंपनियां सार्वजनिक क्षेत्र होने के कारण अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हितों को केवल ओएमसीज के बोर्ड पर नहीं छोड़ा जाए क्योंकि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करना संबंधित मंत्रालय का अनिवार्य

कर्तव्य है। समिति इस बात पर जोर देना चाहती है कि ओएमसी/मंत्रालय के बोर्ड द्वारा दिशा-निर्देश/नीति तैयार करने और अनुमोदित किए जाने से पहले ओएमसीज द्वारा इसे कार्यान्वित किए जाने से पहले ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे को संसदीय समिति को विधिवत रूप से भेजा जाए। समिति यह भी सिफारिश करती है कि पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के चयन के लिए दिशा-निर्देश ओएमसीज द्वारा तैयार और कार्यान्वित किए गए प्रमुख नीतिगत मुद्दे ओएमसीज द्वारा पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करने के लिए इन्हें कार्यान्वित किए जाने से पहले मंत्रालय द्वारा सबसे पहले जांच और अनुमोदित किए जाएं।

7. समिति का यह मानना है कि मंत्रालय और ओएमसी की इस मामले में मिलीभगत है और वे पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों की स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि की तलाश में ईमानदारी से प्रयास नहीं करना चाहते हैं। समिति स्पष्ट रूप से यह उल्लेख करना चाहती है कि भारत की अग्रणी ओएमसी होने के नाते बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसीएल को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के आवंटियों जो काफी समय से सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, के लिए पेट्रोल पंपों की स्थापना के लिए भूमि की पहचान करने और अधिग्रहण करने की जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहिए, वस्तुत ओएमसी को बाजार सर्वेक्षण, राजस्व सृजन और टर्नओवर आंकड़ों के आधार पर ऐसे स्थानों का चयन करना चाहिए और उन्हें खरीदना भी चाहिए। यदि नौसिखिए अ.जा./अ.ज.जा. डीलरों में उपरोक्त कौशल की कमी के कारण पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियां बंद हो जाती हैं तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचितयों जनजाति के उम्मीदवारों पर भूमि चयन और अधिग्रहण का बोझ डालना लाभदायक परिदृश्य नहीं होगा। समिति सर्वसम्मति से यह सिफारिश करती है कि यदि दिशानिर्देशों को पूरी तरह से पिछले पर वापस नहीं किया जा सकता है, तो कम से कम विज्ञापित स्थान पर उपयुक्त भूमि की पेशकश से संबंधित खंड को कम से कम अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों के मामले में समाप्त कर दिया जाये ताकि इन समुदायों के वास्तविक और जरूरतमंद उम्मीदवार भी पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों के स्वामित्व के लिए आवेदन कर सकें। इसके अलावा, यह सिफारिश की जाती है कि मंत्रालय आवेदकों को खुदरा बिक्री केंद्रों को स्थापित करने के लिए पट्टा आधार पर भूमि देने की संभावना का भी पता लगाए। समिति इस तथ्य की ओर मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट करना चाहती है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरओ डीलरशिप/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए उपयुक्त भूमि की व्यवस्था करना सर्वोपरि है ताकि उन्हें प्रदान की गई विभिन्न रियायतों/छूटों और वित्तीय सहायता का वास्तविक अर्थ हो सके।

8. समिति की सर्वसम्मत राय है कि 2014 के बाद खुदरा बिक्री केन्द्रों/डीलरशिप दिशानिर्देशों में सुधार पेट्रोल पंपों के आबंटन के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के हितों के संबंध में एक विभक्ति बिन्दु साबित हुआ है। समिति की राय में नए दिशा-निर्देशों के साथ, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आवेदकों को स्वयं उपयुक्त भूमि खोजने का कठिन कार्य दिया गया है। इसके अलावा, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तरों में यह सूचित किया है कि सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसी भूमि अधिग्रहण के प्रयोजनार्थ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अंतर्गत स्थानों के लिए आवेदकों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं कर रही हैं। समिति मंत्रालय के कार्यकरण के तरीके को स्वीकार करने की इच्छुक नहीं है जिसने कुछ अधिकारियों/व्यक्तियों द्वारा बहाल की गई अनियंत्रित प्रथाओं के प्रति आंखें मूंद ली हैं, जिससे पात्र अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को लाभ प्राप्त करने से वंचित कर दिया गया है, जिन्हें एलओआई प्राप्त हुआ है और नीति में बदलाव के कारण वांछित

परिणाम नहीं मिल सके हैं। यह कोई बड़ा रहस्य नहीं है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की अधिकांश आबादी साधारण पृष्ठभूमि से है और पेट्रोल पंप स्थापित करने के उद्देश्य से आकर्षक स्थानों पर भूमि खरीदने के लिए कोई साधन नहीं है। इस प्रकार, उन्हें अक्सर आरक्षण नियमों से संबंधित भत्तों को लेने के लिए और अ.जा./अ.ज.जा. लोगों की अतिसंवेदनशीलता का शिकार करने वाले व्यक्तियों द्वारा धोखा दिया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्रालय इस तथ्य का समाधान करने का इच्छुक नहीं है कि देश भर में पेट्रोल पंपों का बड़े पैमाने पर बेनामी प्रचालन हो रहा है जिसके अंतर्गत उपयुक्त भूमि रखने वाले कुछ व्यक्ति गुप्त रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के नाम पर पेट्रोल पंप चला रहे हैं। समिति बेनामी प्रचालनों को रोकने के लिए ओएमसी द्वारा अपनाई गई पद्धति और प्रक्रिया से अवगत होना चाहती है। इसलिए समिति की यह इच्छा है कि सरकार को बेनामी प्रचालनों पर अंकुश लगाने के लिए गंभीर प्रयास करने चाहिए। दूसरों द्वारा अ.जा. और अ.ज.जा. लोगों के नाम पर पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियां चलाना न केवल कई योग्य अ.जा./अ.ज.जा. लोगों को अपनी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को सुधारने के अवसर से वंचित करता है, बल्कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति अत्याचार के समान है और इससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। समिति यह भी सिफारिश करना चाहती है कि ओएमसी से उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र के भीतर कार्यरत बेनामी प्रचालनों के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट मांगी जाए और ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आरक्षण नीति के रास्ते में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।

9. समिति यह नोट करके अचंभित है कि मंत्रालय ने एक ओर यह कहा है कि ओएमसी द्वारा कई सार्वजनिक विज्ञापनों के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एलओआई धारकों के लिए उपयुक्त भूमि खरीदने के प्रयासों और उपयुक्त सरकारी भूमि प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से भी अनुरोध करने के अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं और दूसरी ओर दिशानिर्देशों को अमल में लाया गया है जो भूमि अधिग्रहण की जिम्मेदारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों पर डालते हैं जो एक असंभव प्रस्ताव है। समिति यह नोट करके हैरान है कि यदि राज्य सरकार के सहयोग से ओएमसी द्वारा भूमि मांगने का कार्य एक दुर्जेय कार्य है तो यह कैसे उम्मीद की जा सकती है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित कोई व्यक्ति जिसके पास कोई वित्तीय सहायता नहीं है और इस मामले पर कोई अंतर्दृष्टि नहीं है, वह इस तरह के दूरगामी लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होगा। वर्तमान दिशानिर्देश स्पष्ट रूप से जमीनी स्तर पर अ.जा./अ.ज.जा. के लोगों को लाभ की अनुमति नहीं देते हैं। समिति इस संबंध में मंत्रालय और ओएमसी के दोहरे मापदंडों से चकित है। %%$ इस तरह के खंड को शामिल करना गरीब अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को लाभ से वंचित करने का एक खुला अवसर है, जिनकी पेट्रोल पंपों के स्वामित्व में संयुक्त हिस्सेदारी 22.5% है। समिति का यह ठोस मत है कि अ.जा./अ.ज.जा. डीलरशिप/स्वामित्व के नाम पर पंजीकृत अ.जा./अ.ज.जा. डीलरशिप की बढ़ती संख्या उसी की स्पष्ट अभिव्यक्ति है जिसमें पेट्रोल पंप केवल कागजों में अ.जा./अ.ज.जा. के नाम पर पंजीकृत हैं, लेकिन अन्य लोगों द्वारा चलाए जा रहे हैं जो डीलरशिप हासिल करने के लिए इन अ.जा./अ.ज.जा. आवेदकों को जमीन प्रदान करते हैं और इसके बदले में इन भोले-भाले अ.जा./अ.ज.जा. के लोगों को मामूली राशि का भुगतान करते हैं। यह स्पष्ट है कि 2014 के बाद के दिशा-निर्देशों ने मंत्रालय और ओएमसीज को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों पर जिम्मेदारी डालने का अवसर प्रदान किया है, जिसके तहत उपयुक्त भूमि प्राप्त करने के लिए

कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जा रही है, चाहे वह ग्रामीण या शहरी स्थान पर हो। समिति इस मामले में मंत्रालय के अड़ियल रवैये से निराश है। समिति इस मामले में मंत्रालय के ढुलमुल रवैये पर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करना चाहती है, जिसके तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को स्वयं पर छोड़ दिया गया है। समिति यह चाहती है कि मंत्रालय को ओएमसी के परामर्श से रणनीतिक रूप से ऐसे तरीके तैयार करने चाहिए जिनसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को भूमि अधिग्रहण के लिए भी समग्र निधि के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके।

10. समिति सिफारिश करना चाहती है कि मंत्रालय ओएमसी को बेनामी कार्यों की प्रथा को नियंत्रित करने के लिए देश भर में विभिन्न पेट्रोल पंपों का नियमित सर्वेक्षण एवं औचक निरीक्षण करने के लिए निर्देश दे। साथ ही इस तरह के निरीक्षणों के दौरान, स्वामित्व के प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र और कार्यालय के खातों/बही खातों पर हस्ताक्षर, खाते में भुगतान विवरण और मालिकों के नाम की तत्काल जांच की जाए, साथ ही स्वामित्व की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए मालिक की अनिवार्य उपस्थिति के साथ जांच की जाए। समिति यह भी सिफारिश करती है कि सरकार इस प्रतिवेदन को संसद की दोनों सभाओं में प्रस्तुत किए जाने के तीन महीने के भीतर यह कार्य करे और इस संबंध में हुई प्रगति के बारे में समिति को अवगत भी कराए।

11 समिति नोट करती है कि अधिकांश अ.जा./अ.ज.जा. डीलर आरओ डीलरशिप की स्थापना करने के लिए ओएमसी द्वारा प्रदत्त कायिक निधि सुविधाओं का लाभ लेते हैं। समिति का विचार है कि कई अ.जा. और अ.ज.जा. के लिए खुदरा आउटलेट डीलरशिप प्राप्त करना एक भारी-भरकम कार्य है जिसकी स्थापना में बहुत अधिक निवेश की आवश्यकता होती है। इसलिए, कतिपय शिक्षित लोगों को छोड़कर अ.जा. और अ.ज.जा. समुदाय के कई लोग यह सोचते हुए डीलरशिप/डिस्ट्रिब्यूटरशिप के लिए आवेदन नहीं करना चाहते कि वे डीलरशिप/ डिस्ट्रिब्यूटरशिप नहीं चला पाएंगे। समिति का विचार है कि अ.जा. और अ.ज.जा. समुदाय के कई लोग अभी भी इस तथ्य से अनभिज्ञ है कि डीलरशिप/डिस्ट्रिब्यूटरशिप की स्थापना के लिए ओएमसी द्वारा कायिक निधि योजना और अन्य सहायता प्रदान की जाती है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि डीलरशिप/डिस्ट्रिब्यूटरशिप के लिए आवेदन करने वाले पात्र शिक्षित बेरोजगार अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए विभिन्न सहायता, सुविधाएं, रियायतें और विशेष रूप से कायिक निधि योजना को विज्ञापनों में स्पष्ट रूप से उद्धृत किया जाना चाहिए। समिति यह भी सिफारिश करती है कि ओएमसी उक्त विज्ञापन में इस बात पर बाल दें कि डीलरशिप/डिस्ट्रिब्यूटरशिप के लिए चुने जाने पर अ.जा./अ.ज.जा. आवेदकों को कायिक निधि योजना के अंतर्गत सभी प्रकार की सहायता प्रदान की जाएगी।

12. समिति ओएमसी द्वारा आरओ डीलरशिप और एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटरशिप के अ.जा./अ.ज.जा. आबंटियों को सहायता प्रदान करने की सराहना करती है और महसूस करती है कि इससे इन उद्यमों को शुरू करने के लिए कई अ.जा./अ.ज.जा. लोगों को बहुत अधिक प्रेरणा मिलेगी। समिति यह भी महसूस करती है कि एक महत्वपूर्ण कारक है जो इन परियोजनाओं के सफल प्रचालन के लिए अपरिहार्य है। डीलरशिप और डिस्ट्रिब्यूटरशिप को सफलतापूर्वक चलाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कई अ.जा./अ.ज.जा. आबंटियों में सामान्यतया कारोबारी समझ की कमी होती है और यदि उन्हे सही प्रशिक्षण नहीं दिया जाता तो इन परियोजनाओं में वांछित सफलता नहीं प्राप्त होगी। इसलिए, समिति का मत है कि अ.जा./अ.ज.जा. आबंटियों को

वित्तीय सहायता प्रदान करने के अलावा प्रशिक्षण प्रदान करना इन योजनाओं की सफलता के लिए बहुत आवश्यक होगा जिससे कि अ.जा./अ.ज.जा. लोगों का आर्थिक विकास हो सके। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि ओएमसी को खुदरा आउटलेटों और गैस एजेंसियां चलाने वाले अ.जा./अ.ज.जा. आबंटियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के अलावा अनिवार्य प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि उन्हें जिस उद्देश्य से खुदरा डीलरशिप/एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटरशिप दिया गया है वह उद्देश्य पूरा हो।

13. समिति को सूचित किया गया है कि नए दिशानिर्देशों के अनुसार ब्याज मुक्त वापसी योग्य प्रतिभूति जमा का सिद्धांत लागू किया गया है जिससे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आवेदकों को ग्रामीण आरओ और नियमित आरओ के डीलरशिप के लिए आवेदन करते समय क्रमश: 2 लाख और 3 लाख रुपये जुटाने की आवश्यकता होगी। समिति महसूस करती है कि ऐसी अधिक प्रतिभूति जमा कम आय समूह से आने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आवेदकों के लिए बाधक होगी तथा उन्हें आगे पेट्रोल पंपों के लिए आवेदन प्रक्रिया में से रोकेगी। इसलिए, यह सिफारिश की जाती है कि मंत्रालय ग्रामीण आरओ और नियमित आरओ हेतु आवेदन करने वाले अ.जा./अ.ज.जा. आवेदकों हेतु प्रतिभूति शुल्क को समाप्त करने का प्रयास करे अथवा इन्हें कम करके क्रमश: 50,000/- रुपये और 1 लाख रुपये करे।

नई दिल्ली;
दिसंबर 2022
अग्रहायण 1944 (शक)

डॉ.(प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
सभापति
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

परिशिष्ट एक

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES
(2022-2023)
(SEVENTEENTH LOK SABHA)

THIRD SITTING
(25.05.2022)

MINUTES

The Committee sat from 1100 hrs. to 1215 hrs. in Committee Room 'D', Ground Floor, Parliament House Annexe, New Delhi-110001

PRESENT

Shri Kirit Premjibhai Solanki - Chairperson

MEMBERS

LOK SABHA

2. Shri Girish Chandra
3. Shri Tapir Gao
4. Shri Rattan Lal Kataria

5. Smt. Goddeti Madhavi
6. Smt. Pratima Mondal
7. Shri Chhedi Paswan
8. Shri Prince Raj
9. Shri Jagannath Sarkar
10. Shri Krupal BalajiTumane

RAJYA SABHA

11. Shri Abir RanjanBiswas
12. Shri Nabam Rebia
13. Smt. Kanta Kardam

SECRETARIAT

1 Shri D.R. Shekhar, Joint Secretary
2 Shri P.C. Choulda, Director
3 Shri. V. K. Shailon, Deputy Secretary

At the outset, the Hon'ble Chairperson welcomed all the Members to the sitting of the Committee. Thereafter, the representatives of the Ministry of Petroleum & Natural Gas, Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL), Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL), Indian Oil Corporation Limited (IOCL) and Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) were called in to render evidence before the Committee. A power point presentation was made by the Ministry of Petroleum & Natural Gas on the issue of "Reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Public Sector Oil Companies and Status of allotment of Petrol and Gas agencies (CNG, PNG, LPG etc) and other related Agencies/Units to Scheduled Castes and Scheduled Tribes" after obtaining concurrence for the same from the Hon'ble Chairperson of the Committee.

2. During the power point presentation, Ministry of Petroleum & Natural Gas made the following submissions:

a) Percentage of SC employees in BPCL, IOCL, HPCL and ONGC as on 01.04.2022 was 15.58 %, 17.16 %, 17.1 % and 15.39 % respectively. Likewise percentage of ST employees in BPCL, IOCL, HPCL and ONGC as on 01.04.2022 was 6.09 %, 7.95 %, 8.1 % and 11.13 % respectively.
b) Percentage of Retail Outlets allotted to Scheduled Castes as on 01.04.2022 by BPCL, IOCL and HPCL was 12.05 %, 12.1 % and 14.3 % respectively. Likewise percentage of Retail Outlets allotted to Scheduled Tribes as on 01.04.2022 by BPCL, IOCL and HPCL was 5.14 %, 5.3 % and 5.9 % respectively.

c) Percentage of LPG distributionship allotted to Scheduled Castes as on 01.04.2022 was 17.2 %, 15.71 %, and 16.7 %. Likewise percentage of LPG distributionship allotted to Scheduled Tribes as on 01.04.2022 was 5.04 %, 6.45 %, and 6.2 %.

d) Change in selection process in 2014 from point-based to bidding / draw of lots. Further w.e.f 2018, applications are to be submitted through web-portal.

e) With regard to LPG distributionship, Unified Guidelines have been introduced in 2016.

f) Financial assistance in terms of Corpus Fund Scheme w.r.t Retails Outlets and loans w.r.t to LPG distributionship are being offered.

3. Thereafter, Members of the Committee raised numerous queries with respect to issues of reservation for SCs and STs in Public Sector Oil Companies and Status of allotment of Petrol and Gas agencies (CNG, PNG, LPG etc) and other related Agencies/Units to SCs and STs. Some of the pertinent points are enlisted as under:

a) Strength of contractual/outsourced employees in Public Sector oil Companies.

b) Figures pertaining to reservation in promotion in the Public Sector oil Companies.

c) Details regarding grant of letter of intent to SC/ST candidates and how many amongst those could not be fructified owing to unavailability of land.

d) Figures pertaining to allotment of Retail Outlets to SC/ST candidates since the change in Government policy w.e.f 2014.

e) Drawbacks in post 2014 policy which mandates availability of land for setting up of operational Retail Outlets.

f) Number of Retail outlets allotted to SC/ST candidates in creamy and remote locations respectively.

g) Whether decision regarding change in policy pertaining to ownership of land for allotment of Retail Outlets for SCs/STs in 2014 was taken at Ministerial level or Board level.

4. The Committee expressed their displeasure over the underwhelming preparation with which the representatives of Ministry of Petroleum & Natural Gas, Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL), Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL), Indian Oil Corporation Limited (IOCL) and Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) had turned up to depose before the Committee. Hon'ble Chairperson directed the representatives of Ministry of Petroleum & Natural Gas and aforementioned Public Sector Oil Companies to carry out proper homework on the subject matter next time they are called upon to tender evidence before the Committee. It was also requested that the points on which further information is desired by the Committee may be sent within 15 days.

The witnesses then withdrew.

The sitting of the Committee then adjourned.

A copy of the verbatim proceedings has been kept on record.

परिशिष्ट दो

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES (2022-2023)

(SEVENTEENTH LOK SABHA)

THIRTEENTH SITTING (15.12.2022)

MINUTES

The Committee sat from 1000 hrs. to 1100 hrs. in Chairperson Chamber, Room No. 137, Third floor, Parliament House, New Delhi-110001

PRESENT

Shri Kirit Premjibhai Solanki - Chairperson

MEMBERS

LOK SABHA

2. Shri Girish Chandra
3. Shri Guman Singh Damor
4. Shri Anil Firojiya
5. Smt. Goddeti Madhavi
6. Smt. Pratima Mondal
7. Shri Upendra Singh Rawat
8. Shri Jagannath Sarkar
9. Shri Rebati Tripura

RAJYA SABHA

10. Smt. Kanta Kardam
11. Dr. V.Sivadasan
12. Dr. Sumer Singh Solanki

SECRETARIAT

4 Shri D.R. Shekhar, Joint Secretary
5 SHri P.C. Choulda, Director
6 Shri. V. K. Shailon, Deputy Secretary

At the outset, the Chairperson welcomed the Members of the Committee. The Committee then considered the draft report(s) on the following subjects:-

1. Action taken by the Government on the recommendations contained in the Eighth Report (Seventeenth Lok Sabha) of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes on the subject "Reservation of Scheduled Castes/Scheduled Tribes in Public Sector Banks/Financial Institutions/Reserve Bank of India and credit facilities and other benefits being provided by such Institutions/Banks to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes with special reference to State Bank of India".
2. Action taken by the Government on the recommendations contained in the Thirteenth Report (Seventeenth Lok Sabha) of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes on the subject
3. “Reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Central Public Sector Undertaking with special reference to Power Grid Corporation of India Limited”.
4. Action taken by the Government on the recommendations contained in the Ninth Report (Seventeenth Lok Sabha) of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes on the subject “Study of atrocity cases against Scheduled Castes and Scheduled Tribes with respect to implementation of the Prevention of Atrocities Act, 1989 with special reference to cases related to withholding of pensions and retirement benefits of SC/ST Employees”

2. After due consideration, the Committee adopted the aforementioned Report(s) without any modification. The Committee also authorized the Chairperson to present the Report to both the Houses of Parliament during the ongoing Session.

The sitting of the Committee then adjourned.